



www.uou.ac.in

विवरणिका
PROSPECTUS
2017-18

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
Uttarakhand Open University

(Established by the Govt. of Uttarakhand vide Act No. 23 of 2005)

Officers of the University

Professor Nageshwar Rao Vice Chancellor				
Name	Designation	Contact No.	E-mail	
Prof. R.C. Mishra	Registrar	05946-210957	registrar@uou.ac.in	
Prof. H.P. Shukla	Director (RSD)	05946-286067	hpshukla@uou.ac.in	
Prof. P.D. Pant	Examination Controller	9411597995	pdpant@uou.ac.in	
Mrs. Abha Garkhal	Finance Controller	9456727137	gabha@uou.ac.in	
Dr. Rakesh Rayal	Public Relation Officer	9410967600	rryal@uou.ac.in	
Directors of School / Division/ Directorate				
Name	Name of School	Division/ Directorate	Contact No.	E-mail
Prof. R.C. Mishra	Management Studies & Commerce, Health Science Tourism, Hotel Management & Hospitality	Academics	9412034574	rcmishra@uou.ac.in
Prof. Durgesh Pant	Computer Science & Information Technology, Science	Dehradun Campus	9412375384	dpant@uou.ac.in
Prof. H.P. Shukla	Humanities, Journalism & Media Studies, Education Library & Information Science	Regional Services Division (RSD)	9410715100	hpshukla@uou.ac.in
Prof. Girija P. Pande	Social Science Law, Vocational Studies	Research & Innovation Community Radio	9412351759	gpande@uou.ac.in
Prof. P.D. Pant	Agriculture & Development Studies	Examination	9411597995	pdpant@uou.ac.in
Regional Directors				
Regional Centre	Regional Director	Address	Contact No.	E-mail
Dehradun (11)	Dr. Sandeep Negi	SGRR, Pathribagh, Dehradun	9412031183 01352720027	dehradun@uou.ac.in
Roorkee (12)	Dr. Rajesh Paliwal	B.S.M PG College, Roorkee	9412439436 01332274365	roorkee@uou.ac.in
Pauri (14)	Dr. A.K Dobriyal	H.N.B. Garhwal University, Pauri	9412960687 01368223308	pauri@uou.ac.in
Uttarkashi (15)	Dr. D.S Negi	Govt. PG College, Uttarkashi	9411145096 01374222004	uttarkashi@uou.ac.in
Haldwani (16)	Dr. Rashmi Pant	M.B P.G. College, Haldwani	9411162527 05946284149	haldwani@uou.ac.in
Ranikhet (17)	Dr. B.K Singh	Govt. PG College, Ranikhet	7579132634 05966220474	ranikhet@uou.ac.in
Pithoragarh (18)	Dr. R.P Dwivedi	Govt. PG College, Pithoragarh	9412093678 05964264015	pithoragarh@uou.ac.in
Bageshwar (19)	Dr. B.C Tiwari	Govt. PG College, Bageshwar	9412044914 05963221894	bageshwar@uou.ac.in

विवरणिका
PROSPECTUS
2017-18



विश्वविद्यालय मार्ग, ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे
University Road, Behind Transport Nagar
हल्द्वानी 263139, नैनीताल, उत्तराखण्ड
Haldwani 263139, Nainital, Uttarakhand

Phone फोन: 05946-261122; Fax फैक्स: 05946-264232;
Tollfree No. टोल फ्री : 18001804025 (10 am to 5 pm on working days)
Website: <http://www.uou.ac.in>; email: info@uou.ac.in

संपादन एवं संयोजन समिति (Editing and Compilation Team)

Dr. Madan Mohan Joshi	Convener
Dr. Manjari Agarwal	Member
Dr. Bhanu Prakash Joshi	Member
Dr. Seeta	Member
Dr. Mohd. Akram	Member

आभार (Acknowledgement)

विवरणिका-समिति के सभी सदस्य माननीय कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी के प्रोत्साहन एवं सुझावों हेतु आभार व्यक्त करते हैं।

समस्त विद्याशाखाओं के निदेशक, अध्यापक, प्रशासन, प्रवेश एवं परीक्षा से सम्बंधित सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु आभार।

We the members of Prospectus Committee are thankful to Vice Chancellor, Professor Nageshwar Rao for his encouragement and suggestions.

All the Director of Schools, Faculty members, Administration and the staff related to admission and examination are duly acknowledged for their inputs and suggestions.

मूल्य : 100/-

©उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल

प्रकाशन : अप्रैल, 2017

प्रकाशक : उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

मुद्रक : उत्तरायण प्रकाशन, हल्द्वानी

यद्यपि इस विवरणिका में सूचनाओं / तथ्यों / नियमों के मुद्रण में पूर्ण सावधानी का पालन किया गया है, फिर भी यदि इस सम्बन्ध में कोई त्रुटि अथवा विसंगति पायी जाती है तो शासन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आधिकारिक सूचनाएं ही प्रभावी और सर्वमान्य होंगी।

Although due care has been taken while printing the information / rules / facts in the Prospectus, yet if any error or discrepancy comes into notice at the later stage, then the official information/ defined rules/ facts issued by the University or Government will be effective and obligatory.

अनुक्रमणिका (Contents)

पृष्ठ सं.

1. सूचनाएं एवं संदेश

कुल गीत (Kulgeet)

कुलपति का संदेश (Message of Vice Chancellor)

विश्वविद्यालय की मान्यता (Recognition of University)

यू.जी.सी. का पत्र (Letter of UGC)

संदृष्टि (Vision)

शैक्षिक कलैण्डर

2. महत्वपूर्ण सम्पर्क एवं ई-मेल (Telephone Numbers and E-Mails)

कार्यक्रम एक दृष्टि में (Programmes at a glance)

स्पोकन ट्यूटोरियल्स : निःशुल्क कार्यक्रम

3. विश्वविद्यालय (The University)

4. प्रवेश एवं परीक्षा: नियम एवं विनियम (Admission and Examination: Rules and Regulations)

4.1 प्रवेश नियम (Admission Rules)

4.2 परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति (Examination & Evaluation System)

5. विद्याशाखाएं एवं पाठ्यक्रम (Schools & Programmes Offered)

कला में स्नातक पाठ्यक्रम Bachelor of Arts (BA-16) Inter-School Programme

5.1 समाज विज्ञान विद्याशाखा (School of Social Science)

5.2 मानविकी अध्ययन विद्याशाखा (School of Humanities)

5.3 प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्याशाखा (School of Management Studies and Commerce)

5.4 विज्ञान विद्याशाखा (School of Sciences)

5.5 कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा (School of Computer Science and Information Technology)

5.6 पर्यटन, आतिथ्य व होटल प्रबंध विद्याशाखा (School of Tourism, Hospitality & Hotel Management)

5.7 स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा (School of Health Science)

5.8 शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा (School of Education)

5.9 पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययन विद्याशाखा (School of Journalism and Mass Communication)

5.10 विधि अध्ययन विद्याशाखा (School of Law)

5.11 कृषि एवं विकास अध्ययन विद्याशाखा (School of Agriculture and Development Studies)

5.12 व्यावसायिक अध्ययन विद्याशाखा (School of Vocational Studies)

6.1. List of Regional Centers (क्षेत्रीय केन्द्रों की सूची)

7. परिशिष्ट (Appendix)

I. आवेदन-पत्र को भरने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश (Guidelines for Filling- in Application Form)

II. आवेदन-पत्र को आनलाइन भरने की प्रक्रिया (Online Application Procedure)

III. प्रबंध कार्यक्रमों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश (Guidelines for Management Programme)

प्रवेश फॉर्म 2017-18 का प्रारूप (Admission Form 2017-18)

ऑफ लाइन आवेदक की घोषणा

ऑन लाइन आवेदक की घोषणा

परीक्षा फॉर्म (Examination Form)

परीक्षा फॉर्म- बैक (Examination Form-Back)

परीक्षा केन्द्रों की सूची

प्रोविजनल तथा प्रतिलिपि उपाधि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रारूप (Application Form for obtaining Degree/Diploma/Certificate/Provisional and Duplicate Mark-sheet)

प्रवेश एवं सत्रीय कार्य हेतु पावती कार्ड (Acknowledgement Card for Receipt of Admission Form and Assignments)

शुल्क अदायगी हेतु बैंक चालान फॉर्म (Bank Challan Forms for Fee Payment)

पुनःप्रवेश आवेदन पत्र

परिचय पत्र

विश्वविद्यालय के द्वारा चलाए जा रहे सभी पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुरूप हैं। इस सम्बन्ध में समय-समय पर दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों का परिनियमावली में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप क्रियान्वयन किया जाता है।

All the programmes of study being offered by the University are as per the orders / guidelines of the Distance Education Bureau (DEB), University Grant Commission (UGC), New Delhi. In this regard, orders /directives/ guidelines of the DEB, University Grant Commission, New Delhi issued from time to time are followed by the University as per the procedure laid down in its Statute.

विश्वविद्यालय कुलगीत

जहाँ ज्ञान श्रद्धा से जुड़ता, जहाँ ज्ञान चेतना बसे;
जहाँ ज्ञान का योग निरन्तर, जहाँ ज्ञान से मुक्ति मिले,
जहाँ ज्ञान से बिछुड़ों की भी आशाओं के दीप जले;
जहाँ सभी को ज्ञान-यज्ञ में आहुति का अधिकार मिले।

पीठ ज्ञान की मुक्त लिये रोली-कुंकुमा

श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं। श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं॥

पर्वत की श्रृंखला यहाँ दृढ़ता के पाठ पढ़ाती;
निर्मल जल-धारायें निसि-दिन कल-कल गीत सुनातीं,
भाँति-भाँति की औषधियाँ, फल-फूल, प्रकृति मुसुकाती;
देवभूमि की सुन्दरता से अमरावती लजाती।

पीठ ज्ञान की मुक्त लिये रोली-कुंकुमा

श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं। श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं॥

परम्परायें यहाँ ज्ञान की, तपोभूमि भारत की;
ज्ञानभूमि है यही विवेकानन्द, आदि-शंकर की,
धरा यही ऋषियों-मुनियों की, योग-ध्यान साधन की;
बहीं शारदा, सरयू, यमुना, कोख यही सुरसरि की।

पीठ ज्ञान की मुक्त लिये रोली-कुंकुमा

श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं। श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं॥

विद्या देती विनय-पात्रता, शुभ प्रसाद धन-सुख का;
ज्ञान मोक्ष का द्वार, यही उद्धोष देव-संस्कृति का,
नई विधायें, नई दिशायें, पथ नवीन आशा का;
मुक्त विश्वविद्यालय अपना, है अभियान प्रगति का॥

पीठ ज्ञान की मुक्त लिये रोली-कुंकुमा

श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं। श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं॥

:- :-



संदेश

नास्ति विद्या समं चक्षु अर्थात् विद्या के समान चक्षु नहीं हैं। आज मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा माध्यम समग्र वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान एवं शिक्षा का आधारभूत साधन बनकर उभरा है। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ज्ञानवर्द्धक व रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सन् 2005 में राज्य विधान सभा के अधिनियम 23 के अंतर्गत हुई। यह सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, जो सम्पूर्ण प्रदेश में फैला है। राज्य भर में आठ क्षेत्रीय निदेशालयों और लगभग 236 अध्ययन केन्द्रों के साथ आज यह प्रगति के पथ पर अग्रसर है। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों के माध्यम से उच्च शिक्षा को दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुँचाना है। इस हेतु विश्वविद्यालय पाठ्य सामग्री, काउंसिलिंग और नवीनतम प्रौद्योगिकी का यथोचित प्रयोग करता है। वर्तमान परिदृश्य में जहां आधुनिक परम्परागत विश्वविद्यालयी शिक्षा व्यवस्था का इतिहास 800-900 वर्षों का है, वहीं दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा व्यवस्था का अभ्युदय मात्र कुछ दशकों पूर्व का है, तथापि दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा व्यवस्था ने न केवल ज्ञानार्थियों का ध्यान आकृष्ट किया है, अपितु परम्परागत शिक्षा व्यवस्था ने भी दूरस्थ शिक्षा के मूलभूत तत्वों का समावेश अपनी शिक्षण पद्धति में किया है।

विश्व में सूचना-प्रौद्योगिकी क्रांति के उपरान्त मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महत्त्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है अर्थात् टेक्नोलॉजी की सहायता से विद्यार्थी घर बैठे उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त सकते हैं। वर्तमान समय में विश्वविद्यालय 80 पारंपरिक, व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है। कुछ पाठ्यक्रम सीधे तौर पर रोजगारपरक हैं। ये सभी पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय का ध्येय शैक्षणिक व्यवस्था को सम्पूर्णतः विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए विश्वविद्यालय ने अपनी आंतरिक व्यवस्था को परम्परागत शिक्षक केंद्रित व्यवस्था के स्थान पर प्रदेश भर के सामान्य शिक्षार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी केंद्रित बनाया है। विद्यार्थियों के हित एवं उनकी अन्यान्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों को संचार के नवीनतम उपकरणों और सम्पर्क सत्रों के माध्यम से लाभकारी बनाने का सफल प्रयास किया है।

व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में तीव्रता से हो रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रमों को इस प्रकार पुनर्गठित किया है कि शैक्षणिक व्यवस्था के केन्द्र में प्रदेश का सामान्य विद्यार्थी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। इस नवीन दर्शन का मूलभूत उद्देश्य वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को परम्परागत गुरुकुल व्यवस्था के स्थान पर नवीन छात्रकुल व्यवस्था की ओर उन्मुख करना है। इस नवीन छात्र केंद्रित शिक्षा को व्यवहारिक स्तर पर सफल बनाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों के लिए रोजगार की उपलब्धता पर भी ध्यान केंद्रित किया है, इस सत्र से विश्वविद्यालय अपने छात्रों के लिए आई.आई.टी. बम्बई के 'स्पोकन ट्यूटोरियल' के ऑनलाइन कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है, जो पूर्णतः निःशुल्क हैं, छात्रों को इनका लाभ उठाना चाहिए। विश्वविद्यालय ने प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी अधिकतर कार्यों को ऑनलाइन स्तर पर भी संपादित करने की सुविधा प्रदान की है। इस हेतु विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uou.ac.in पर दिया गया है। इसी क्रम में वर्तमान सत्र से विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों से सीधे संवाद स्थापित करने की दिशा में विद्यार्थियों के प्रवेश और पुस्तक-वितरण के लिए समस्त अध्ययन केन्द्रों को सीधे विश्वविद्यालय मुख्यालय से जोड़ने की पहल की है। अपने इन्हीं प्रयासों के सुचारू संपादन के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा ग्रीष्मकालीन शैक्षणिक सत्र 2017-18 में संचालित किए जा रहे विभिन्न विषयों के स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर-डिप्लोमा, स्नातक, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए यह विवरणिका तैयार की गई है।

मैं आशा करता हूँ कि विश्वविद्यालय की यह विवरणिका जिज्ञासु शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यक्रम चयन हेतु सहायक सिद्ध होगी। विश्वविद्यालय का सामान्य परिचय एवं विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों की नवीनतम जानकारी प्राप्त करने में यह विवरणिका सहायक सिद्ध होगी।

मैं अपनी तथा विश्वविद्यालय परिवार की ओर से विद्यार्थियों तथा इस विवरणिका के सामान्य पाठकों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

नागेश्वर राव
(नागेश्वर राव)



University Grants Commission
Bahadur Shah Zafar Marg
New Delhi-110002
2766

2308-

F.No.UGC/DEB/2013
Dated 14.10.2013


The Registrar/ Director
Of all the Indian Universities
(Deemed, State, Central Universities/
Institutions of National importance)

Subject: Equivalence of Degrees awarded by Open and Distance Learning (ODL) Institutions at par with Conventional Universities / Institutions

Sir/ Madam,

There are a number of Open and Distance Learning Institutions (ODLIs) in the country offering Degree/ Diploma/ Certificate programmes through the mode of non formal education. These comprise Open Universities, Distance Education Universities, Deemed to be Universities, Institutions of National Importance or any Council/ Societies registered under the Society Registration Act 1860.

2. A circular was earlier issued vide UGC letter FI No.-52/2000 (CPP-11) dated May 05, 2004 (copy enclosed) mentioning that Degrees/Diplomas / Certificates / awarded by the Open Universities in conformity with the UGC notification of degree be treated as equivalent to corresponding awards of the traditional Universities in the country.
3. Attention is also invited to UGC circular No FI-25/93(CPP-II) dated 28th July 1993 (copy enclosed) for recognition of degrees and diplomas as well as transfer of credit for course successfully completed by students between the two types of Universities / institutions is ensured without any difficulty.
4. The Government of India, in exercise of its power conferred under section 20 (1) of UGC Act 1956, issued directions dated 29th December 2012 entrusting UGC with the responsibility of regulating higher education programme in open and distance learning (ODL) mode. Consequently, Universities/ Institutions desirous of offering any programme through distance mode would require recognition of UGC.
5. As you are aware, the Government of India has envisaged a greater role for the Open and Distance Education System. The envisaged role may be fulfilled by recognizing and treating the Degrees / Diplomas / Certificates awarded through distance mode at par with the degrees obtained through the formal system of education. Open and Distance Education System in the country is contributing a lot in expansion of Higher Education and for achieving target of GER, without compromising on quality. Non recognition / non equivalence of degrees of ODI Institutions for the purpose of promotion/ employment and pursuing higher education may prove a deterrent to many learners and will ultimately defeat the purpose of Open and Distance Education.
6. Accordingly, the Degrees / Diplomas/ Certificates awarded for programmes conducted by the ODL institutions, recognized by DEC (erstwhile) and UGC, in conformity with UGC Notification on specification of Degrees should be treated as equivalent to the corresponding awards of the Degree/Diploma/Certificate of the traditional Universities/ Institutions in the country.



(Vikram Sahay) 14/10/13

Director (Admn)
Tel: 011 23230405

Ph 23236351, 23232701, 23237721, 23234116
23235733, 23232317, 23236735, 23239437

www.ugc.ac.in



Speed Post

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110 002
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110 002

No. F.9-16/2011(CPP-I/PU)

September, 2011

The Registrar,
Uttarakhand Open University,
Unchapul, Haldwani – 263 139
Nainital, Uttarakhand.

5 OCT 2011

Subject: -Establishment of Uttarakhand Open University, Haldwani (Nainital),
Uttarakhand.

Sir,

With reference to your Letter No. UOU/RI/273/2011 dated 26.07.2011 on the above subject, I am directed to say that Uttarakhand Open University, Haldwani (Nainital), Uttarakhand has been established by an Act (No. 23 of 2005) of State Legislature of Uttarakhand as a State University and is empowered to award degrees as specified by the UGC under section 22 of the UGC Act 1956 through its main campus in regular mode with the approval of statutory bodies/councils, wherever required.

University is not allowed to start any off-campus centre beyond the territorial jurisdiction of the State as per Hon'ble Supreme Court Judgement in Prof. Yash Pal vs State of Chhattisgarh case Private franchise is not permitted.

The University may note and adhere to the following: -

- i) To ensure that no off campus centre(s)/study centre and the centres operating through franchises is opened by the University outside the territorial jurisdiction of the State in view of the judgement of Hon'ble Supreme Court of India in case of Prof. Yashpal vs. Government of Chhattisgarh.
- ii) In case the university has already started any off-campus/study centre and the centre operating through franchises outside the State, it must be closed immediately.
- iii) No distance education programmes shall be started without the prior approval of Distance Education Council as it is the regulatory body for distance education programmes.

I am enclosing a copy of UGC 12(B) Rules. The detailed information in the prescribed format (attached) may please be sent to this office for considering the proposal to declare University fit to receive Central assistance under Section 12B of UGC Act, 1956 early.

Yours faithfully,


(Shashi Bala Arora)
Under Secretary

Encl: As above.

संदृष्टि

"ज्ञान के इस युग में उच्च-शिक्षा को विकास का सशक्त माध्यम बनाने के लिए ज्ञान का सृजन कर उत्तराखण्ड के लोगों, विशेषकर युवाओं तथा शिक्षा से वंचित एवं रोजगार में संलग्न व्यक्तियों को मूल्य-आधारित गुणवत्तापरक उच्च-शिक्षा के सुविधाजनक एवं सर्वसुलभ अवसर उपलब्ध कराते हुए उन्हें जीवन-पर्यन्त अध्ययन के लिए प्रेरित करना तथा स्व-रोजगार, रोजगार एवं अन्य कौशलों में दक्ष बनाना, जिससे कि वे प्रदेश, देश व सम्पूर्ण मानवता की उपयुक्त सेवा कर सकें।

VISION

To make higher education the potent medium of growth by creating knowledge and to provide easily accessible and convenient opportunities for value-based quality higher education to the people of Uttarakhand especially to youth, educationally deprived, and employed persons so that they are motivated for life-long-learning thereby ensuring their proficiency in different skills, securing self-employment, and employment with the motto of appropriate service to the state, nation and entire humanity."

क्रम संख्या - 137 (ख)

पंजीकृत संख्या- यू.ए./डी.एन.-30/03
लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट



उत्तरांचन शासन
सरकारी गजट , उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 31 अक्टूबर, 2005 ई.
कार्तिक 09, 1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 608/विधायी एवं संसदीय कार्य/ 2005
देहरादून, 31 अक्टूबर, 2005
अधिसूचना
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचलविधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पर दिनांक 27 अक्टूबर, 2005 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005
(अधिनियम संख्या 23, वर्ष 2005)

शैक्षणिक कैलेंडर
(The Academic Calendar)
2017-18

प्रवेश (Admission)

	ग्रीष्मकालीन सत्र (Summer session)	शीतकालीन सत्र (Winter session)
आरम्भ की तिथि (Date of start)	01मई (01 May)	01 जनवरी (01 January)
अंतिम तिथि (Last date)	14 अगस्त (14 August)	15 मार्च (15 March)
विलम्ब शुल्क रु.250/- के साथ (With late fee of Rs. 250/-)	31 अगस्त (31 August)	31 मार्च (31 March)

परीक्षा (Examination)

वार्षिक परीक्षा (Annual Examination)	
ग्रीष्मकालीन सत्र (Summer Session) 2017-18	जून (June)
शीतकालीन सत्र (Winter Session) 2017-18	दिसम्बर (December)
सेमेस्टर परीक्षा (Semester Examination)	
ग्रीष्मकालीन सत्र (Summer Session) 2017-18	दिसम्बर (December)
शीतकालीन सत्र (Winter Session) 2017-18	जून (June)
सत्रीय कार्य जमा करने की अंतिम तिथि (Last date of submission of assignments)	
ग्रीष्मकालीन सत्र (Summer Session)	
सेमेस्टर 2017-18 (Semester 2017-18)	वार्षिक 2017-18 (Annual 2017-18)
31 अक्टूबर (31 October) 2017	28 फरवरी (28 February) 2018
शीतकालीन सत्र (Winter Session)	
सेमेस्टर 2017-18 (Semester 2017-18)	वार्षिक 2017-18 (Annual 2017-18)
30 अप्रैल (30 April) 2018	31 अगस्त (31 August) 2018
परियोजना कार्य जमा करने की अंतिम तिथि (Last date of submission of Project report)	
ग्रीष्मकालीन सत्र (Summer Session)	
सेमेस्टर 2017-18 (Semester 2017-18)	वार्षिक 2017-18 (Annual 2017-18)
31 अक्टूबर (31 October) 2017	28 फरवरी (28 February) 2018
शीतकालीन सत्र (Winter Session)	
सेमेस्टर 2017-18 (Semester 2017-18)	वार्षिक 2017-18 (Annual 2017-18)
30 अप्रैल (30 April) 2018	31 अगस्त (31 August) 2018

1.0 विश्वविद्यालय : महत्वपूर्ण सम्पर्क एवं ई-मेल(Telephone Numbers and E-Mails)

1.1 Administration, Admission, Examination and Finance

Designation	Name	Telephone No.	E-Mail
Reception	-	05946 261122	info@uou.ac.in
VC Office	-	05946-263014; Fax 05946-262032	mdjoshi@uou.ac.in
Registrar	Prof. R.C. Mishra	05946-210957	registrar@uou.ac.in
Registrar Office	-	05946-210957; Fax 05946 264232	-
Finance Controller	Ms. Abha Garkhal	9456727137	gabha@uou.ac.in
Accounts Office	-	05946 261122 (Ext. 118)	-
Public Relations Officer	Dr. Rakesh Rayal	9410967600	rrayal@uou.ac.in
Assistant Registrar	Mr. Khemraj Bhatt	05946 286038	kbhatt@uou.ac.in
Director Academics / MPDD	Prof. R.C. Mishra	05946 286051	rcmishra@uou.ac.in
Assistant Director Academics	Dr. Gagan Singh	05946 286053, 9410377546	gsingh@uou.ac.in
Assistant Director Academics	Dr. Praveen K. Tiwari	05946 286075, 8765352833	pktiwari@uou.ac.in
OSD	Dr. Jeetendra Pande	05946 286060, 9927050094	jpande@uou.ac.in
OSD	Dr. Devesh K. Mishra	05946 286068, 9794265167	dkmishra@uou.ac.in
Book Distribution I/C	Dr. Suryabhan Singh	05946 286042, 9410770312	sbhansingh@uou.ac.in
Book Distribution (MPDD)	-	05946 286011	-
Administrative Officer	Mr. P.S. Parihar	05946 286011, 9837512236	psparihar@uou.ac.in
Director, Regional Services (RSD)	Prof. H.P. Shukla	05946 286068, 9410715100	hpshukla@uou.ac.in
RSD (Office)	-	05956 286061	-
Assistant Director RSD	Dr. Devesh K. Mishra	05946 286068, 9794265167	dkmishra@uou.ac.in
Admission I/C	Dr. Madan Mohan Joshi	05946 286043, 9412924858	mmjoshi@uou.ac.in
Examination Controller	Prof. P.D. Pant	05946 286023, 9411597995	pdpant@uou.ac.in
Examination Office	-	05946 286022, 210958	-
Assistant Exam Controller	Dr. Neerja Singh	05946 286044, 9927145246	neerjasingh@uou.ac.in
Assistant Exam Controller	Dr. Sumit Prasad	05946 286050, 9456346010	sprasad@uou.ac.in
Director Research	Prof. Girija Pande	05946 286045, 9410964787	gpande@uou.ac.in
Assistant Director Research	Dr. Praveen K. Tiwari	05946 286075, 8765352833	pktiwari@uou.ac.in
Head ICT	Mr. Pradeep Pathak	8941012351	pradeepathak@uou.ac.in
Hardware Engineer	Mr. Rajesh Arya	05946 286017, 261122 (122)	rarya@uou.ac.in
Computer Programmer	Mr. Jeetendra K. Diwedi	05946 286017, 261122 (122)	jkdwivedi@uou.ac.in
Computer Programmer	Mr. Rajendra Goswami	05946 286017, 261122 (122)	rgoswami@uou.ac.in
Network Administrator	Mr. Mohit Rawat	05946 286017, 261122 (122)	mrawat@uou.ac.in
Hardware Engineer	Mr. Vineet Pauriyal	05946 286017, 261122 (122)	vpauriyal@uou.ac.in
Internal Complaint Committee I/C Women Empowerment Cell	Dr. Manjari Agarwal	05946-286054, 9917600141	magarwal@uou.ac.in
Internal Complaint Committee, Co-coordinator/Assistant	Dr. Neerja Singh	05946-286044, 9927145246	neerjasingh@uou.ac.in
Alumni Cell I/C	Dr. Suchitra Awasthi	05946 286065, 9410112792	sawasthi@uou.ac.in

1.2 Academics

Name	Designation	Extention	Email
SCHOOL OF AGRICULTURE AND DEVELOPMENT STUDIES			
Prof. P.D. Pant	Director	05946 286023, 9411597995	pdpant@uou.ac.in
Dr. Virendra Kumar	Asst. Professor(Agriculture)	05946 286039, 9458184645	vkumar@uou.ac.in
SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY			
Prof. Durgesh Pant	Director	9412375384	dpant@uou.ac.in
Dr. Jeetendra Pande	Assistant Professor (Computer Sc.)	05946 286060, 9927050094	jpande@uou.ac.in
Mr. Balam Singh Dafouti	Academic Associate (Computer Sc.)	05946 286060, 9720669090	bdafouti@uou.ac.in
SCHOOL OF HEALTH SCIENCE			
Prof. R.C. Mishra	Director	05946 286051	rcmishra@uou.ac.in
Dr. Hemant Kandpal	Assistant Professor (Ayurveda)	05946 286052, 9456365244	hkandpal@uou.ac.in
Dr. Bhanu Prakash Joshi	Assistant Professor(Yoga)	05946 286052, 9411163102	bhanujoshi@uou.ac.in
Dr. Preeti Bora	Academic Associate (Home Sc.)	05946 286055, 9927093103	pbora@uou.ac.in
Mrs. Monika Dwivedi	Academic Associate (Home Sc.)	05946 286055, 9758568764	mdwivedi@uou.ac.in

SCHOOL OF SCIENCE			
Prof. Durgesh Pant	Director	9412375384	dpant@uou.ac.in
Dr. Harish Chandra Joshi	Assistant Professor(Forestry On Leave)	05946 286066	hcjoshi@uou.ac.in
Dr. Kamal Devlal	Assistant Professor(Physics)	05946 286048, 9411525595	kdeolal@uou.ac.in
Dr. Shalini Singh	Assistant Professor(Chemistry)	9917150681	shalinisingh@uou.ac.in
Dr. Mohd. Akram	Assistant Professor(Geography)	9719759719	
Dr. Charu Chandra Pant	Academic Associate(Chemistry)	05946 286041, 9997216611	cpant@uou.ac.in
Dr. Pooja Juyal	Academic Associate(Botany)	05946 286037, 9675063263	pjuyal@uou.ac.in
Dr. Ranju Joshi Pandey	Academic Associate(Geography)	05946 286037, 9456768020	rjpandey@uou.ac.in
Dr. Shyam S. Kunjwal	Academic Associate(Zoology)	05946 286041, 9410183247	skunjwal@uou.ac.in
SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES AND COMMERCE			
Prof. R.C.Mishra	Director	05946 286051	rcmishra@uou.ac.in
Dr. Gagan Singh	Assistant Professor(Commerce)	05946 286053, 9410377546	gsingh@uou.ac.in
Dr. Manjari Agarwal	Assistant Professor(Management)	05946 286054, 9917600141	magarwal@uou.ac.in
Er. Sumit Prasad	Assistant Professor(Management)	05946 286050, 9456346010	spasad@uou.ac.in
SCHOOL OF EDUCATION			
Prof. H.P. Shukla	Director	05946 286067, 9410715100	hpshukla@uou.ac.in
Dr. Dinesh Kumar	Assistant Professor(Education)	05946 286076, 9837875234	dineshkumar@uou.ac.in
Dr. Praveen Kumar Tiwari	Assistant Professor(Education)	05946 286075, 8765352833	pktiawari@uou.ac.in
Dr. Bhawana Palariya	Assistant Professor(Education)	05946 286074, 9412131194	bpalariya@uou.ac.in
Ms. Mamta Kumari	Assistant Professor(Education)	05946 286074, 9997457463	mtamta@uou.ac.in
Dr. Siddharth Pokhriyal	Academic Associate (Special Education)	05946 286071, 9756644817	spokhriyal@uou.ac.in
Mrs. Manisha Pant	Counsellor(General Education)	05946 286071, 9568967846	mpant@uou.ac.in
SCHOOL OF HUMANITIES			
Prof. H.P. Shukla	Director	05946 286067, 9410715100	hpshukla@uou.ac.in
Dr. Devesh Kumar Mishra	Assistant Professor(Sanskrit)	05946 286068, 9794265167	dkmishra@uou.ac.in
Dr. Shashank Shukla	Assistant Professor(Hindi)	05946 286064, 9917157035	sshukla@uou.ac.in
Dr. Suchitra Awasthi	Assistant Professor(English)	05946 286065, 9410112792	sawasthi@uou.ac.in
Dr. Nandan Kumar Tiwari	Assistant Professor(Jyotish)	7351691747	nktiawari@uou.ac.in
Dr. Rajendra Kaira	Academic Associate (Hindi)	05946 286070, 9917371228	rkaira@uou.ac.in
Mr. Dwijesh Upadhyay	Academic Associate(Music)	05946 286070	dupadhyay@uou.ac.in
Mohd. Afzal Husain	Academic Associate(Urdu)	8171555455	ahusain@uou.ac.in
SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES			
Prof. Girija Pande	Director	05946 286045, 9412351759	gpande@uou.ac.in
Dr. Madan Mohan Joshi	Assistant Professor(History)	05946 286043	mmjoshi@uou.ac.in
Dr. Deepak Paliwal	Assistant Professor(Sociology)	05946 286044, 9412906869	dpaliwal@uou.ac.in
Dr. Suryabhan Singh	Assistant Professor (Political Sc.)	05946 286042, 9410770312	sbhansingh@uou.ac.in
Dr. Neerja Singh	Assistant Professor(Social Work)	05946 286044, 9927145246	neerjasingh@uou.ac.in
Dr. Seeta	Assistant Professor (Psychology)	7060865774, 9456142556	seeta@uou.ac.in
Ms. Shalini Chaudhury	Assistant Professor(Economics)	7060332274, 9456316126	schaudhury@uou.ac.in
Dr. Ghanshyam Joshi	Academic Associate (PublicAdmn.)	05946 286047, 9456370179	gjoshi@uou.ac.in
SCHOOL OF LAW			
Prof. Girija Pande	Director	05946 286045, 9410964787	gpande@uou.ac.in
SCHOOL OF JOURNALISM & MEDIA STUDIES			
Prof. H.P. Shukla	Director	05946 286067, 9410715100	hpshukla@uou.ac.in
Prof. Govind Singh	Professor(Journalism) On Leave	9410964787	govindsingh@uou.ac.in
Dr. Bhupen Singh	Assistant Professor (Journalism)	05946 286072, 9456324236	bhupensingh@uou.ac.in
Mr. Rajendr Singh Kweera	Academic Associate(Journalism)	05946 286069, 9837326427	rkweera@uou.ac.in
SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT			
Prof. R.C. Mishra	Director	05946 286051	rcmishra@uou.ac.in
Dr. Jatashankar R. Tewari	Assistant Professor (Hotel Mgmt.)	05946 286046	jtewari@uou.ac.in
Dr. Akhilesh Singh	Assistant Professor(Tourism)	05946 286034, 7376651395	akhileshsingh@uou.ac.in
Dr. Subhash Ramola	Academic Associate (Hotel Mgmt.)	9410593690	sramola@uou.ac.in
Ms. Ruchi Arya	Academic Associate(Tourism)	7376234730	ruchiarya@uou.ac.in

PROGRAMMES AT A GLANCE

पाठ्यक्रम एक दृष्टि में

UNDER GRADUATE PROGRAMMES

Programme Name (Code)	Eligibility	Duration (Yrs)		SLM	Mode of Exam
		Min	Max		
Bachelor of Arts (BA-17)	10+2 / Equivalent	3	6	Hindi	Annual
Bachelor of Art with Geography (BA-17)	10+2 / Equivalent	3	6	Hindi	Annual
Bachelor of Art with Music (BA-17)	10+2 / Equivalent	3	6	Hindi	Annual
Bachelor of Commerce (BCOM-17)	10+2	3	6	Hindi	Annual
Bachelor of Science (BSCG-17) (ZBC/ ZBF/BCF/ BFG/PCM/PGM Groups)	10+2 Science	3	6	Hindi	Annual
Bachelor of Computer Application (BCA-17)	10+2 (Candidates not having Mathematics at 10+2 level will have to pass one qualifying Mathematics paper during course of the programme, exam fee for the subject will be charged separately) / BCAPP Lateral entry (BCA IIIrd Sem): Diploma in Computer Application / IT (DCA/DIT)/ Diploma (Polytechnic) in relevant stream	3	6	English	Semester
Bachelor of Business Administration (BBA-17)	10+2	3	6	English	Annual
Bachelor of Yogic Science (BYS-17)	10+2, or equivalent Learners having diploma in Yoga and Naturopathy from UOU may take admission directly in second year	3	6	Hindi	Annual
Bachelor of Tourism and Travel Management (BTTM-17)	10+2	4	8	English	Semester
Bachelor of Hotel Management (BHM-17)	10+2	4	8	English	Semester

POST GRADUATE PROGRAMMES

Programme Name & (Code)	Eligibility	Duration (Yrs)		SLM	Mode of Exam
		Min	Max		
Master of Computer Application (MCA-17)	Graduation in any stream (Candidates not having Mathematics at 10+2 level will have to pass one qualifying Mathematics paper during course of the programme. Exam fee for the subject will be charged separately). Lateral Entry: MCA IIIrd SEM: BCA/BSc (CS/IT), A Level from DOEACC, PGDCA, MCA Vth Semester: MSc (IT/CS)	3	6	English	Semester
Master of Geo Informatics (MGIS-17)	Graduation in any stream Lateral entry: MGIS IIrd Year to PGDGIS	2	4	English	Annual
Master of Information Technology (MSCIT-17)	Graduation with Mathematics at graduation or 10+2 level. However, candidates not having Mathematics at 10+2 level or Graduation level will have to pass one qualifying Mathematics paper during course of the programme. Exam fee for the subject will be charged separately). Lateral Entry: B.Tech./B.E./A-level from DOEACC after graduation / PGDCA and graduation	2	4	English	Semester
M.A. Yoga (MAY-17)	Graduation in any stream	2	6	Hindi	Annual
M.Sc. Botany (MSCBOT-17)	Graduation in concerned subject	2	6	English	Annual
M.Sc. Chemistry (MSCCH-17)	Graduation in concerned subject	2	6	English	Annual

M.Sc. Physics (MSCPHY-17)	Graduation in concerned subject	2	6	English	Annual
M.Com. (MCOM-17)	Bachelor's Degree in Commerce (B. Com.)	2	6	Hindi	Annual
M.A. Education (MAED-17)	Graduation in any stream	2	6	Hindi	Annual
M.A. Hindi (MAHL-17)	Graduation in any stream	2	6	Hindi	Annual
M.A. English (MAEL-17)	Graduation in any stream	2	6	English	Annual
M.A. Sanskrit (MASL-17)	Graduation in any stream	2	6	Hindi	Annual
M.A. Urdu (MAUL-17)	Graduation in any stream / ADEEB-E-KAMIL	2	6	Urdu	Annual
M.A. Economics (MAEC-17)	Graduation in any stream	2	6	Hindi	Annual
M.A. History (MAHI-17)	Graduation in any stream	2	6	Hindi	Annual
M.A. Political Science (MAPS-17)	Graduation in any stream	2	6	Hindi	Annual
M.A. Public Admin. (MAPA-17)	Graduation in any stream	2	6	Hindi	Annual
Master in Social Works (MSW-17)	Graduation in any stream	2	6	Hindi	Semester
M.A. Sociology (MASO-17)	Graduation in any stream	2	6	Hindi	Annual
Masters of Laws (LLM-17)	LLB with not less than 50% from any recognized university or equivalent (5% relaxation for reserved category)	2	6	Hindi /Eng	Annual
M.A. Journalism & Mass Communication (MAJMC-17)	Graduation in any stream. For lateral admission to IIIrd semester, those who have one year PGDJMC or any other diploma on Journalism and Mass Communication after graduation	2	6	Hindi	Semester
Master of Hotel Management (MHM-17)	DHM & CT, BHM, B.Sc. in Hospitality and Hotel Management Administration	2	4	English	Semester
Master of Tourism and Travel Management (MTTM-17)	Graduation in any stream	2	4	English	Semester

PG Programmes where admissions are carried out through entrance examination (M.B.A.)

Master of Business Administration (MBA-17)	50% Marks at graduate or post-graduate level or 45% at Graduate or post graduate level along with 2 years' of supervisory / managerial/ professional/ teaching experience after completing graduation or post-graduation (even if the degree has been obtained in ODL mode or as a private student). (5% relaxation for reserved category).Admission through entrance test conducted by the University / MAT / CAT score	2	4	English	Semester
--	--	---	---	---------	----------

POST GRADUATE DIPLOMA PROGRAMMES

Programme Name & (Code)	Eligibility	Duration (Yrs)		SLM	Mode of Exam
		Min	Max		
PG Diploma in Computer Application (PGDCA-17)	Graduation in any stream	1	3	English	Semester
PG Diploma in Geo Informatics (PGDGIS-17)	Graduation in any stream	1	3	English	Annual
PG Diploma In Disaster Management (PGDDM-17)	Graduation in any subject	1	3	English / Hindi	Annual
PG Diploma in Cyber Law (PGDCL-17)	Graduation in any stream	1	3	English-Hindi	Annual
PG Diploma in Journalism and Mass Communication (PGDJMC-17)	Graduation in any stream	1	3	Hindi	Semester
PG Diploma in Broadcast Journalism & New Media (PGDBJ-17)	Graduation in any stream	1	3	Hindi	Semester
PG Diploma in Advertising and Public Relations (PGDAPR-17)	Graduation in any stream	1	3	Hindi	Semester

PG Diploma Programmes where admissions are carried out through entrance examination (PGDMM, DIM and PGDHRM)

PG Diploma in Marketing Management (PGDMM-17)	50% Marks at graduate or post graduate level with 1 year experience in the relevant field. Further those having 45% marks at graduate level or post graduate level shall also be eligible with 2 years' of supervisory/ managerial/ professional / teaching experience after completing graduation or post-graduation (even if the degree has been obtained in ODL mode or as a private student).(5% relaxation for reserved category). Admission through entrance test conducted by University / MAT /CAT score	1	3	English	Semester
PG Diploma Human Resource Management (PGDHRM-17)		1	3	English	Semester
Diploma in Management (DIM-17)	50% Marks at graduation or at post graduation level or 45% at graduate or post graduate level along with 2 years' of supervisory / managerial / professional / teaching experience after completing graduation or post-graduation (even if the degree has been obtained in ODL mode or as a private student). (5% relaxation for reserved category). Admission through entrance test conducted by University / MAT/ CAT score	1	3	English	Semester

DIPLOMA PROGRAMMES

Programme Name (Code)	Eligibility	Duration (Yrs)		SLM	Mode of Exam
		Min	Max		
Diploma in Value Added Products from Fruits and Vegetables (DVAPFV-17)	10+2	1	3	Hindi	Semester
Diploma in Commercial Horticulture (DCH-17)	10+2	1	3	Hindi	Semester
Diploma in Public Health and Community Nutrition (DPHCN-17)	10+2	1	3	Hindi	Semester
Diploma in Yogic Science (DYS-17)	10+2 or equivalent	1	3	Hindi	Annual
Diploma in Management of Non-wood Forest Products (DMNWFP-17)	10+2	1	3	English	Semester
Diploma in Phaliti Jyotish (DPJ-17)	10+2 or Certificate in Jyotish	1	3	Hindi	Annual
Diploma in Hotel Management (DHM-17)	10+2	1	4	English	Annual
Diploma in Front Office Management (DFO-17)	10+2	1	4	English	Semester
Diploma in Accommodation Management (DAM-17)	10+2	1	4	English	Semester
Diploma in Tourism Studies (DTS-17)	10+2	1	4	English	Annual
Diploma in Information Technology(DIT-17)	10+2	1	3	English	Semester

CERTIFICATE PROGRAMMES

Programme name (code)	Eligibility	Duration (yrs)		SLM	Mode of exam
		Min	Max		
Certificate in Commercial Flower Production (CCFP-17)	10+2	½	2	Hindi	Semester
Certificate in Vegetable Production (CVP-17)	10+2	½	2	Hindi	Semester
Certificate in Organic Farming (CCOF-17)	10+2	½	2	Hindi	Semester
Certificate in Geo Informatics (CGIS-17)	10+2	½	2	English	Semester
Certificate in Computer Application (CCA17)	10+2	½	2	English	Semester
Certificate in e-Governance and Cyber Security (CEGCS-17)	10+2	½	2	English	Semester
Certificate in Ayurvedic Masseur (CAM-17)	10+2	½	2	Hindi	Semester
Certificate in Herbal Beauty Care (CHBC-17)	10+2	½	2	Hindi	Semester
Certificate in Ayurvedic Herb Cultivation (CAHC-17)	10+2	½	2	Hindi	Semester

Certificate in Ayurvedic Food and Nutrition (CAFN-17)	10+2	½	2	Hindi	Semester
Certificate in Yogic Sciences (CYS-17)	10+2 or equivalent	½	1	Hindi	Semester
Certificate in Naturopathy (CIN-17)	10+2 or equivalent	½	1	Hindi	Semester
Certificate Course in Office Management (CCOM-17)	10th pass	½	2	Hindi	Semester
Certificate in Vedic Karmkand (CVK-17)	10th	½	2	Hindi	Semester
Certificate in Phalit Jyotish (CPJ-17)	10 th	½	2	Hindi	Semester
Certificate in Sanskrit Language (CSL-17)	10 th	½	2	Hindi	Semester
Certificate Course in Panchayati Raj (CCPR-17)	10 th	½	2	Hindi	Semester
Certificate in Memory Enhancement (CME-17)	10+2	½	2	Hindi	Semester
Certificate in Mass Media (CMM-17)	10+2	½	2	Hindi	Semester
.Certificate Course in Industrial Skills & Process(CCISP-17)	10+2	1	2	English	Semester
Certificate Course in Automotive Manufacturing(CCAM-17)	10+2	½	1	English	Semester
Certificate Course in Automotive Assembly(CCAA-17)	10+2	½	1	English	Semester

3. विश्वविद्यालय

3.1 प्रस्तावना

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के व्यापक दर्शन की पृष्ठभूमि पर उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2005 में उत्तराखण्ड शासन के अधिनियम संख्या 23 द्वारा इस उद्देश्य से की गई कि समग्र ज्ञान और कला-कौशल की स्वयं सीख पाने की विविध विधाओं द्वारा सक्षमता लोगों तक पहुँचायी जा सके। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अपने अनेक नूतन, समसामयिक एवं उपयोगी शैक्षणिक कार्यक्रमों को सम्प्रेषण के नवीनतम प्रयोगों तथा सम्पर्क-सत्रों द्वारा अधिक सुदृढ़ बनाता रहा है। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य इस राज्य के त्वरित विकास एवं उन्नयन हेतु प्रशिक्षित एवं विभिन्न कौशलों में दक्ष उपयोगी मानव संसाधनों का विकास करना है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कभी किसी भी स्तर पर कोई समझौता न किया जाए। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में तीव्रता से हो रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रमों को इस प्रकार पुनर्गठित किया है कि रोजगार एवं स्व-रोजगार के नित नए द्वार खुल सकें।

विश्वविद्यालय मुख्य रूप से महिलाओं, जनजातियों तथा मुख्य धारा से अलग वर्गों के शैक्षिक उन्नयन हेतु कटिबद्ध है। विश्वविद्यालय के निरन्तर होते विस्तार से इसकी पहुँच आज इस राज्य के सुदूरवर्ती एवं दुर्गम स्थलों तक हो गई है।

3.2 विश्वविद्यालय के उद्देश्य

विश्वविद्यालय राज्य के विकास में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए जो राज्य की समृद्ध परम्पराओं पर आधारित हो, राज्य की जनता की संस्कृति और उसके मानवीय संसाधनों की उन्नति और अभिवृद्धि के लिए शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण और विस्तारण के माध्यम से प्रयास करेगा। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह-

- क) नियोजन की आवश्यकताओं से संबंधित तथा देश की अर्थव्यवस्था के, उसके प्राकृतिक और मानवीय साधनों के आधार पर, निर्माण के लिए आवश्यक उपाधि, डिप्लोमा, और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करेगा और उन्हें विविध प्रकार का बनाएगा;
- ख) जनता के बड़े भागों और विशिष्टतया सुविधारहित समूह को, जैसे कि वे समूह जो दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिनके अन्तर्गत श्रमजीवी जनता, घरेलू महिलाएं और ऐसे वयस्क हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के माध्यम से ज्ञान बढ़ाने व अर्जित करने की इच्छा रखते हैं, उच्चतर शिक्षा तक उनकी पहुँच के लिए उपबन्ध करेगा;
- ग) शीघ्रता से विकसित और परिवर्तित होने वाले समाज में ज्ञान के अर्जन का संवर्धन करेगा और मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में नव-परिवर्तन, अनुसंधान, शोध के संदर्भ में ज्ञान, प्रशिक्षण और कुशलता बढ़ाने के लिए लगातार अवसर प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करेगा;
- घ) ज्ञान के नये क्षेत्रों में विद्या की अभिवृद्धि करने और उसे विशिष्टतया प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विद्या के तरीकों और गति, पाठ्यक्रमों के मिश्रण, नामांकन की पात्रता, प्रवेश की आयु, परीक्षाओं के संचालन और कार्यक्रमों के प्रवर्तन के संबंध में सुनिश्चय और निर्बाध विश्वविद्यालय स्तर की नई प्रणाली के लिए उपबन्ध करेगा;
- ङ) औपचारिक पद्धति की अनुपूरक अनौपचारिक पद्धति का उपबन्ध करके और विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित पाठों और अन्य साफ्टवेयर का व्यापक रूप से उपयोग करके गुणवत्ता के अन्तरण को और शिक्षण कर्मचारियों के

3. The University

3.1 Introduction

Following the philosophy of Open and Distance Learning (ODL), Uttarakhand Open University (UOU) was established in the year 2005 (vide Act No. 23 of the Uttarakhand Government) with an objective to take education to the doorsteps of various sections of society. UOU is progressing leaps and bounds due to its new, innovative and useful educational programmes. All this has been made possible through the use of latest information and communication technology and contact sessions with our learners. The main objective of the University is to develop trained and skilled human resource for sustainable development and progress. However, to meet this goal the University has never compromised with the quality of education it imparts. Keeping in mind the fast changing trends in vocational and technical education, the University has developed its programmes in such a manner that they open doors of employment and self-employment to its learners.

The University mainly caters to the development of women, tribals and those sections of society which have been left out of main stream education. In a short time span of eleven years, the University has evolved considerably and has been successful in reaching out to the unreached.

3.2 Objectives of the University

The University shall endeavour through education, research, training and extension to play a positive role in the development of the State, and based on the rich heritage of the State to promote and advance the culture of the people of Uttaranchal (Uttarakhand) and its human resources and towards this end, it shall :

- a) strengthen and diversify the degree, diploma and certificate courses related to the needs of employment and necessary for building the economy of the country on the basis of its natural human resources;
- b) provide access to higher education for large segments of the population, and in particular, the disadvantaged groups such as those living in remote and rural areas including working people, housewives and other adults who wish to upgrade or acquire knowledge through studies in various fields;
- c) promote acquisition of knowledge in a rapidly developing and changing society and to continually offer opportunity for upgrading knowledge, training and skills in the context or innovations, research and discovery in all fields of human endeavours;
- d) provide an innovative system of University level of education, flexible and open, in regard to method and pace of learning combination of courses, eligibility for enrolment, age of entry, conduct of examination and operation of programmes with a view to promote learning and encourage excellence in new fields of knowledge;
- e) contribute to the improvement of the educational system by providing a non-formal channel complementary to the formal system and encouraging transfer of credits and excellence of

विनिमय को प्रोत्साहित करके शैक्षणिक पद्धति के सुधार में सहयोग देगा;
 च) देश की विभिन्न कलाओं, शिल्पों और कुशलताओं में, उनकी गुणवत्ता में सुधार करके जनता के लिए उनकी उपलब्धता में वृद्धि करके शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उपबंध करेगा;
 छ) ऐसे कार्यक्रमों या संस्थाओं के लिए अपेक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उपबंध या प्रबंध करेगा;
 ज) अध्ययन के यथोचित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए उपबंध करेगा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा;
 झ) अपने छात्रों के लिए परामर्श एवं मार्गदर्शन के लिए उपबंध करेगा; और
 ञ) अपनी नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता व मानव व्यक्तित्व के समन्वित विकास में वृद्धि करेगा।

3.3 विद्याशाखाएं

वर्तमान में, विश्वविद्यालय 13 विद्याशाखाओं एवं 47 विभागों के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है। ये विद्याशाखाएं निम्नलिखित हैं:

- 1) कृषि एवं विकास अध्ययन
- 2) कम्प्यूटर साइंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी
- 3) स्वास्थ्य विज्ञान
- 4) विज्ञान
- 5) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान
- 6) प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य
- 7) शिक्षाशास्त्र
- 8) मानविकी
- 9) समाज विज्ञान
- 10) विधि
- 11) पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन
- 12) पर्यटन, आतिथ्य एवं होटल प्रबंधन
- 13) व्यावसायिक अध्ययन

इसके अतिरिक्त हिमालयी अध्ययन केंद्र, गांधी अध्ययन एवं शांति केंद्र, भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं सुदूर संवेदी अनुप्रयोग केंद्र तथा मानवीय तथा नैतिक मूल्य केंद्र की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि शोधपरक एवं विशिष्ट अध्ययन किया जा सके।

3.4 पाठ्यक्रमों की क्रेडिट प्रणाली

दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में विभिन्न श्रेणी के पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग क्रेडिट्स तथा अध्ययन अवधि निर्धारित की गई है। इस व्यवस्था में एक (01) क्रेडिट का अभिप्राय 30 घण्टे के छात्र-अध्ययन के बराबर माना जाता है, जिसमें समस्त अध्ययन गतिविधियां शामिल हैं, जैसे: पढ़ने और स्वअध्ययन सामाग्री (SLM) को समझने, ऑडियो को सुनने, वीडियो देखने, परामर्श सत्र में भाग लेने, दूरसंवाद और सत्रीय कार्य लेखन इत्यादि। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित क्रेडिट एवं सामान्य अवधि का विवरण निम्नवत हैं-

पाठ्यक्रम	क्रेडिट	पाठ्यक्रम की अवधि
प्रमाण-पत्र	12-18	6 माह
डिप्लोमा/पी0जी0 डिप्लोमा	28-36	1 वर्ष
स्नातक उपाधि	96-100	3 वर्ष

teaching staff by making wide use of texts and other software developed by the University;

- f) provide education and training in the various arts, crafts and skills of the country, raising their quality and improving their availability to the people;
- g) provide or arrange training of teachers required for such activities or institutions;
- h) provide suitable Post-graduate courses of study and promote research
- i) promote the counseling and guidance to its students; and
- j) promote national integration and the integral development of the human personality through its policies and programmes.

3.3 The Schools of Studies

At present, the University is running various programmes through 13 Schools of Studies and 47 Departments. These Schools are as follows:

- 1) Agriculture and Development Studies
- 2) Computer Science & IT
- 3) Health Science
- 4) Science
- 5) Library and Information Science
- 6) Management Studies and Commerce
- 7) Education
- 8) Humanities
- 9) Social Science
- 10) Law
- 11) Journalism and Media Studies
- 12) Tourism, Hospitality & Hotel Management
- 13) Vocational Studies

Besides the above mentioned schools of studies, various research Centres like Centre for Himalayan Studies, Centre for Gandhian Studies & Peace, Centre for Remote Sensing and GIS Application and Centre for Human Values and Ethics have been established under different Schools in order to augment research and focused studies.

3.4 Credit System of Programmes

In the ODL system, Credit System and duration of study is ascertained for various levels of programmes. In this system, 01 credit is equivalent to 30 hours of self-study. This comprises all learning activities i.e., reading and comprehending the SLM, listening to audio, watching video, attending counselling sessions, teleconference and preparing assignments. The details of the credits and the general terms for various courses are as follows:

Programme	Credits	Duration of Programme
Certificate	12-18	6 Months
Diploma/ PG Diploma	28-36	1 Year
Graduation (Conventional /	96-100	3 Years

(सामान्य/व्यावसायिक)		
स्नातक उपाधि (प्राविधिक)	160-165	5 वर्ष
द्वितीय स्नातक उपाधि	32	1 वर्ष
स्नातकोत्तर उपाधि (सामान्य)	60-66	2 वर्ष
स्नातकोत्तर उपाधि (प्राविधिक/व्यावसायिक)	96-100	3 वर्ष

Vocational)		
Graduation (Professional)	160-165	5 Years
Second Graduate Degree	32	1 Year
PG Degree (General)	60-66	2 Years
PG Degree (Professional / Vocational)	96-100	3 Years

3.4.1 विकल्प आधारित श्रेयांक पद्धति (सीबीसीएस) के अंतर्गत प्रस्तावित किए गए कार्यक्रम

विश्वविद्यालय वर्तमान शैक्षिक सत्र से बीएचएम कार्यक्रम को विकल्प आधारित श्रेयांक पद्धति में प्रस्तावित कर रहा है। विकल्प आधारित श्रेयांक पद्धति में मुख्य पाठ्यक्रम, क्षमता वृद्धि पाठ्यक्रम, ऐच्छिक तथा कौशल आधारित पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किए गए हैं। ये पाठ्यक्रम किसी व्यक्ति के समग्र विकास के लिए मुख्य विषयों से अतिरिक्त सीखने के अवसर को प्रदान करते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के लिए, सत्रीय कार्यों के अंकों तथा सत्रांत परीक्षा के प्राप्तांकों को जोड़ने के उपरान्त, अधिकतम प्राप्तांकों में से शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को समानुपातिक आधार पर अक्षर श्रेणी तथा पदक्रम श्रेणी (ग्रेड) अंक में परिवर्तित किया जाएगा, अर्थात् 100 अंकों से 10 पदक्रम श्रेणी (ग्रेड) अंक पैमाने पर प्रवर्धन किया जायेगा। सीजीपीए तथा एसजीपीए की गणना के लिए विद्यार्थियों द्वारा उक्त अर्जित ग्रेड अंकों को प्रयुक्त किया जाएगा। पदक्रम श्रेणी (ग्रेड), शिक्षार्थी को 09 अंकों के पैमाने पर दिए गए अक्षर श्रेणी के संख्यात्मक समकक्ष हैं जो कि निम्नवत है;

अक्षर ग्रेड	संख्यात्मक ग्रेड
O (Outstanding)	10
A+ (Excellent)	9
A (Very Good)	8
B+ (Good)	7
B (Above Average)	6
C (Average)	5
D (Pass)	4
F (Fail)	0
Ab (Absent)	0

3.5 पाठ्यक्रमों का संचालन

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षण पाठ्यक्रम मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र तथा अध्ययन केन्द्रों की त्रिस्तरीय व्यवस्था द्वारा संचालित होते हैं। राज्य के विभिन्न भागों में स्थित क्षेत्रीय केन्द्र विश्वविद्यालय के मुख्यालय द्वारा नियन्त्रित तथा निर्देशित होते हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र अपने क्षेत्र में स्थित अध्ययन केन्द्रों और विश्वविद्यालय के बीच समन्वय तथा सक्रिय सहयोग की भूमिका निभाते हैं। अध्ययन केन्द्र विश्वविद्यालय के लिए अकादमिक एवं प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय सहयोग करते हैं। समस्त शिक्षण कार्यों का संचालन विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अध्ययन केन्द्रों से ही होता है।

3.5.1 स्व-अध्ययन सामग्री (एस.एल.एम.)

पाठ्यक्रमों को सहज एवं बोधगम्य बनाने हेतु उन्हें सबसे पहले विषय केन्द्रित खण्डों में विभक्त किया जाता है। तत्पश्चात् प्रत्येक खण्ड को चार से छः छोटी-

3.4.1 Programmes offered under Choice Based Credit System (CBCS)

University is offering BHM Programme in Choice Based Credit System from the current academic session. The Choice Based Credit System includes core courses, ability enhancement courses, electives and skill based courses. These courses provide the additional avenues of learning beyond the core subjects for holistic development of an individual. For such programmes, after adding the Assignment Marks and Semester End Examination Marks, the marks secured by a learner from maximum marks shall be converted to the appropriate Letter grade and Grade point on prorated basis, i.e. using scaling down 100 marks to 10 Grade Point Scale. The Grade points so earned by the learners shall be considered for the computation of CGPA and SGPA. The grade points that are the numerical equivalent of letter grade assigned to a learner in the 09 points scale are given as below:

Letter grade	Numerical Grade
O (Outstanding)	10
A+ (Excellent)	9
A (Very Good)	8
B+ (Good)	7
B (Above Average)	6
C (Average)	5
D (Pass)	4
F (Fail)	0
Ab (Absent)	0

3.5 Programme Delivery

The educational programmes of the University operate on a three tier arrangement, i.e., University Headquarter, Regional Centres and Study Centres. The Regional Centres located in different parts of the state are administered by the University Headquarters. Every Regional Centre acts as a coordinating agency between the University and the various Study Centres. The Study Centres, in turn, discharge both academic and administrative duties. All the counselling related activities are carried out by the various Study Centres.

3.5.1 Self Learning Materials (SLM)

In order to make learning easy and understandable, complex facts and ideas are made simple and manageable. The structure of the

छोटी इकाईयों में विभाजित किया जाता है। यहाँ मुख्य ध्येय यह है कि विद्यार्थी एक या दो चरण में एक इकाई का पूर्ण अध्ययन कर सके। पाठ्यवस्तु की शैली इस प्रकार नियोजित की जाती है कि वह कक्षा में अध्यापक की उपस्थिति को श्रृंखला दी जाती है जो उन्हें प्रेरित करने के साथ-साथ उस पाठ का तथ्यपरक ज्ञान भी करा सके। कठिन तथा पारिभाषिक शब्दावली की व्याख्या द्वारा जटिल तथ्यों एवं विचारों को बोधगम्य बनाया जाता है। अध्ययनार्थियों को व्यापक एवं गहन अध्ययन के लिए उस विषय के महत्वपूर्ण तथा सहायक ग्रन्थों की सूची उपलब्ध कराई जाती है। इकाई के अन्त में दिए गए प्रश्न परीक्षा की तैयारी में विद्यार्थियों के लिए सहायक होते हैं। **विश्वविद्यालय में हिन्दी या अंग्रेजी, जिस माध्यम में पाठ्य सामग्री उपलब्ध होगी, उसी माध्यम में छात्रों को उपलब्ध करायी जायेगी, हालांकि छात्र अंग्रेजी या हिन्दी किसी भी माध्यम में परीक्षा दे सकेगा।**

3.5.2 ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज (ओईआर)

ओईआर बौद्धिक सम्पदा लाइसेंस के तहत पब्लिक डोमेन में जारी की गई वह शिक्षण, अध्ययन एवं शोध से संबंधित सामग्री है जो उसके अन्य द्वारा प्रयोग, पुनः प्रयोग की निःशुल्क अनुमति देती है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के अन्तर्गत ज्ञान तक पहुंच बनाने के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम सामग्री, मॉड्यूलस, पाठ्य पुस्तक, वीडियो तथा अन्य साधन, सामग्री, या तकनीकों का प्रयोग किया जाता है।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की भी अपनी ओईआर पॉलिसी है, जिसके तहत <http://elearning.uou.ac.in/> नाम का ओईआर पोर्टल विकसित किया गया है, यहां से छात्र अपनी शिक्षण सामग्री में पहुंच बना सकता है और अपने स्मार्ट फोन, लैपटॉप अथवा डेस्क टॉप कम्प्यूटर में सामग्री को डाउनलोड कर सकता है। इस ओईआर पोर्टल में दो खण्ड हैं ;प्रथम खण्ड (<http://elearning.uou.ac.in/course/index.php?categoryid=20>) स्व-अध्ययन सामग्री खण्ड है, और दूसरा खण्ड ओईआर खण्ड है

(<http://elearning.uou.ac.in/course/index.php?categoryid=6>) । विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा विकसित अध्ययन सामग्री, स्व-अध्ययन सामग्री खण्ड में है। छात्र इस सामग्री तक विश्वविद्यालय के आइसीटी विभाग द्वारा दिये जाने वाले पासवर्ड द्वारा पहुंच बना सकता है। ओईआर खण्ड में कोई भी, बिना किसी पासवर्ड के अध्ययन सामग्री तक पहुंच बना सकता है।

3.5.2.1 मूक

विश्वविद्यालय द्वारा इस सत्र से बीसीए कार्यक्रम में मूक का विकल्प भी प्रारंभ किया जा रहा है, इच्छित छात्र यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध मूक कार्यक्रम(MOOC) की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट(www.uou.ac.in) पर देख सकते हैं। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय, यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित क्रेडिट ट्रांसफर की नीति का पालन किया जायेगा।

3.5.3 परामर्श सत्र एवं सत्रीय कार्य

पाठ्यक्रमों की निर्धारित क्रेडिट्स के अनुरूप आवश्यक परामर्श सत्रों तथा सत्रीय कार्यों (असाइनमेन्ट्स) का विवरण निम्नवत हैं-

unit is very learner friendly as each chapter is first divided into blocks and the blocks are further divided into units. The main objective of this division is to make it possible for the learners to understand the lessons easily. Our material is prepared keeping in mind the requirements of our learners. The language of the SLM is conversational as it gives a feeling that the teacher is present with the learner to guide him/ her. Self Check exercises are also provided at the end of each unit. These kind of exercises do not just develop an interest for the subject in learners' minds but also help them in logical understanding of the subject. Furthermore, a listing of reference books is also provided at the end of each unit so that the learners also undertake a comprehensive study of the subject. **The study material available in Hindi or English medium, what so ever shall be distributed to the student, however Student may opt Hindi or English as medium of examination.**

3.5.2 Open Educational Resources (OER)

OER are teaching, learning, and research resources that reside in the public domain or have been released under an intellectual property license that permits their free use and re-purposing by others. Open educational resources include full courses, course materials, modules, textbooks, streaming videos and any other tools, materials, or techniques used to support access to knowledge."

Uttarakhand Open University has own OER policy and developed OER portal named <http://elearning.uou.ac.in/> where the learners can access course materials and download the course materials in his own devices such as smart phone, laptop and desktop computer.

In this OER portal there are two sections one is SLM (<http://elearning.uou.ac.in/course/index.php?categoryid=20>) section and another is OER section (<http://elearning.uou.ac.in/course/index.php?categoryid=6>). The SLM developed by faculty members reside in the SLM section. The learner can access the SLM through user id and password which is provided by the ICT department. In OER section anyone can direct access the course materials without any user id and password.

3.5.2.1 MOOC

The University is offering an option of MOOC in the BCA programme from this session, Interested students may visit the University Website (www.uou.ac.in) for UGC approved SWAYAM portal containing MOOC list. In this regard University shall abide by the UGC approved Credit transfer policy.

3.5.3 Counselling Sessions and Assignments

Counselling sessions and assignments as per the number of credits of the respective programmes are provided as under:

Credits Defined for the Subject (विषय के लिए निर्धारित) क्रेडिट	Total study hours duration based on credit (hrs.) (क्रेडिट के आधार पर कुल अध्ययन अवधि) (घंटों में)	Counselling Sessions- 10% of total study hours (परामर्श सत्र-कुल अध्ययन के लिए निर्धारित घंटों का 10 %)	Minimum number of Assignment (न्यूनतम सत्रीय कार्यों की संख्या)
02	60	06	01
04	120	12	01
06	180	18	01
08	240	24	01

3.5.4 ऑडियो – विजुअल सामग्री

दूरस्थ शिक्षा को रोचक एवं प्रभावशाली बनाए जाने हेतु ऑडियो-विजुअल व्याख्याओं को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है (इकाई एवं ब्लाक के अनुसार)। इसमें से कुछ सामग्री ऑनलाइन भी उपलब्ध है। विश्वविद्यालय की योजना है कि 'एडुसेट' तथा अन्य माध्यमों से माध्यम से ऑडियो-विजुअल व्याख्याओं को प्रसारित करें ताकि विद्यार्थी इन्हें कहीं भी देख सकें।

3.5.5 कार्यशाला / प्रयोगात्मक कार्यशाला / परियोजना कार्य

विज्ञान, शिक्षा, समाज कार्य, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में कार्यशाला / प्रयोगात्मक कार्यशालाओं का प्रावधान किया गया है ताकि विद्यार्थियों की प्रायोगिक समझ विकसित हो सके। इसके अतिरिक्त कुछ पाठ्यक्रमों में परियोजना कार्य पाठ्यक्रम के अनिवार्य भाग के रूप में शामिल किया गया है ताकि विद्यार्थी के प्रायोगिक / व्यावहारिक / शोधपरक ज्ञान में वृद्धि हो सके।

3.6 सहायक सेवाएं

3.6.1 निदेशालय, क्षेत्रीय सेवाएं (आर0एस0डी0)

निदेशालय, क्षेत्रीय सेवाएं मुख्यालय में अवस्थित है। यह निदेशालय क्षेत्रीय केंद्रों और अध्ययन केंद्रों के संचालन हेतु नीति निर्धारण और नियमन करता है।

3.6.2. क्षेत्रीय केंद्र

क्षेत्रीय केंद्रों का कार्य अध्ययन केंद्रों एवं विश्वविद्यालय के बीच शैक्षिक पाठ्यक्रमों हेतु समन्वय स्थापित कर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों को उत्तराखण्ड के दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना है। ये केंद्र सामान्यतः भौगोलिक पहुंच एवं अध्ययन केंद्रों की स्थिति की दृष्टि से बीच की जगह में स्थापित किए गए हैं। ऐसे आठ क्षेत्रीय केंद्र, जिसमें से चार गढ़वाल मंडल में (देहरादून, रूड़की, पौड़ी एवं उत्तरकाशी) तथा चार कुमाऊं मंडल (रानीखेत, हल्द्वानी, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़) में स्थापित किए गए हैं। इन क्षेत्रीय केंद्रों के अन्तर्गत अध्ययन केंद्रों के माध्यम से शैक्षिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है।

3.6.3 अध्ययन केंद्र

अध्ययन केंद्र मुक्त विश्वविद्यालयी शिक्षण पद्धति की प्राथमिक इकाई हैं। विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय सेवा प्रभाग के द्वारा समुचित कार्यवाही के उपरांत अध्ययन केंद्रों की स्थापना की जाती है। प्रत्येक अभ्यर्थी को अपनी सुविधानुसार अध्ययन केंद्र चुनने की स्वतन्त्रता होती है। छात्रों के प्रवेश के साथ-साथ उनके लिए परामर्श सत्रों तथा प्रयोगात्मक कार्यों की व्यवस्था भी अध्ययन केंद्रों द्वारा ही की जाती है। इन केंद्रों के माध्यम से प्रत्येक छात्र अपने विश्वविद्यालय से निरन्तर सम्बद्ध रहता है।

3.6.4 आदर्श अध्ययन केंद्र (कोड 16000, 11000)

विश्वविद्यालय मुख्यालय हल्द्वानी तथा देहरादून परिसर में दो आदर्श अध्ययन

3.5.4 Audio – Visual Aids

In order to make ODL interesting and effective, efforts are being made to develop audio/ video materials and some of the lectures are also available online. Now that the University has access to the educational satellite EDUSAT, it will start broadcasting lectures to our learners and the learners will be able to view them irrespective of their geographical location.

3.5.5 Workshops/Laboratory Workshops/Project Activity

In order to provide hands on / practical understanding of the subject, workshops/ laboratory workshops are organized in Science, Education, Social Work, Yoga and Naturopathy Programmes. Furthermore, in some programmes, project activity is a compulsory part of the programme as it not only provides field exposure but also enhances the practical/field/research understanding of the learners.

3.6 Support Services

3.6.1 Directorate of Regional Services (RSD)

Directorate, Regional Services is located in University Headquarters in Haldwani. Directorate regulates and frames policies for Regional Centre and Study Centres.

3.6.2. Regional Centres

Coordination between the different Study Centres and the University is ensured by Regional Centres. These centres also help in disseminating information about the programmes offered by the University to the learners residing in far-flung areas of Uttarakhand. At present, the University has eight (08) Regional Centres, of which four (04) are located in the Garhwal region, viz., Dehradun, Roorkee, Pauri, Uttarakashi and four (04) in the Kumaun region, viz., Ranikhet, Haldwani, Bageshwar, Pithoragarh. The educational programmes of the University are offered through study centres under these eight regional centres.

3.6.3 Study Centre

The primary unit of the Open University Education System is the Study Centre. Each learner has the freedom to opt for the Study Centre of his/ her choice. In addition to dealing with the admission related matters of the University, the Study Centres also arrange counselling and laboratory sessions for its learners. In this manner, each learner remains connected with the University.

3.6.4 Model Study Centres (Code Nos. 16000, 11000)

Two Model Study Centres, one at the University Headquarters and

केन्द्र स्थापित किये गये हैं। विद्यार्थियों को सर्वांगीण शिक्षण प्रदान करना तथा अन्य अध्ययन केन्द्रों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना इनका मुख्य उद्देश्य है। एक ओर विश्वविद्यालय मुख्यालय पर विभिन्न विषयों में पचास से अधिक शिक्षक उपलब्ध हैं, वहीं देहरादून परिसर में नगर की अधिकांश शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक, दूरस्थ शिक्षा के विद्यार्थियों को समुचित सहायता हेतु सुलभ है। इन आदर्श अध्ययन केन्द्रों पर नियमित रूप से परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर प्रौद्योगिकी की नवीनतम विधाएं व पुस्तकालय की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही यहाँ रोजगार व भविष्य निर्माण विषयक परामर्श भी दिये जाते हैं।

3.6.5 सरकारी महाविद्यालयों में यू.ओ.यू. अध्ययन केंद्र

नई व्यवस्था के अन्तर्गत विश्वविद्यालय प्रदेश के कुछ राजकीय महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र स्थापित कर रहा है।

3.6.6 देहरादून परिसर

विश्वविद्यालय का एक परिसर देहरादून में 'दून परिसर' के नाम से, सी-27, टीएचडीसी कालोनी, अजबपुर कला में स्थित है। दून परिसर का उद्देश्य छात्रों को समुचित सुविधाएँ, जानकारी तथा मार्गदर्शन प्रदान करना है और विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केंद्रों एवं अध्ययन केंद्रों के बीच समन्वय स्थापित करना है।

3.7 सामग्री उत्पादन एवं वितरण प्रभाग

सामग्री उत्पादन एवं वितरण प्रभाग अध्ययन सामग्री के उत्पादन एवं प्राप्ति के लिए उत्तरदायी है, यह विभाग सुनिश्चित करता है कि छात्रों तक समय पर अध्ययन सामग्री निर्गत हो।

3.8 मूल्यांकन हेतु ग्रेडिंग प्रणाली

परीक्षा में सम्मिलित प्रत्येक पंजीकृत शिक्षार्थी का मूल्यांकन निम्नवत होगा:

आधार पाठ्यक्रमों, सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कार्यक्रमों में सत्रीय कार्य नहीं होगा, अन्य कार्यक्रमों के परीक्षार्थी के सत्रीय कार्य तथा लिखित परीक्षा का पृथक-पृथक मूल्यांकन किया जाएगा जिसके लिए क्रमशः 20 प्रतिशत तथा 80 प्रतिशत अंक होंगे जिन विषयों में मात्र प्रयोगात्मक कार्य, प्रक्षेत्र कार्य, गोष्ठियाँ अथवा प्रोजेक्ट कार्य निर्धारित है उनमें मूल्यांकन 100 अंकों के आधार पर होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सत्रीय कार्य एवं लिखित परीक्षा में अलग-अलग कम से कम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। सत्रीय कार्य अध्ययन केन्द्र पर जमा किए जाएंगे तथा वहीं पर परामर्शदाताओं द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाएगा। यह कार्य क्षेत्रीय निदेशकों की सतत निगरानी में होगा।

another at the Dehradun Campus, have been established for the benefit of the learners. Not only do these Model Study Centres function holistically and provide an all-encompassing education to the learners, but they also serve as exemplary role models for other study centres of the University. As there is considerable faculty strength of fifty teaching personnel at the University Headquarters and Dehradun is an education hub from where teachers working in premier education institutions can be roped in to provide guidance to the ODL learner, Furthermore, these Study Centres organize regular counselling sessions for the learners. These centres have modern technological facilities and library facilities. In addition to this, career counselling is also offered in these Study Centres.

3.6.5 UOU Study Centres at Govt. PG Colleges

The University is working in the direction of establishing study centres in some Government PG Colleges.

3.6.6 Dehradun Campus

The University has a campus at Dehradun. It is located at C-27 THDC Colony, Ajabpurkalan. The primary objectives of the Dehradun campus are to provide services to the learners of the Garhwal region and to maintain coordination between the University and the various Regional and Study Centres.

3.7 Material Production & Distribution Division

Material Production and Distribution Division (MPDD) is the division responsible for the production and procurement of study material and to ensure its timely distribution to the end user.

3.8 Grading System of Evaluation

Every enrolled learner who has appeared in examination will be evaluated as under:

There shall be no Assignment work in the foundation courses, Certificate Programmes and Diploma Programmes. Other than these the performance of every learner will be evaluated on the basis of marks scored separately in assignments and the term-end papers. Assignment work will carry 20 marks and the term end paper 80 marks. In those subjects, where laboratory, field or project work is carried out, the students will be evaluated out of 100 marks. It is compulsory to attain at least 35% marks separately, both in the assignments as well as in the term-end papers. Assignments are submitted to the concerned study centres and these will be evaluated by the concerned counsellors. This activity will be strictly monitored by the Regional Directors.

Grading System for Evaluation (मूल्यांकन हेतु ग्रेडिंग प्रणाली)				
Grade (ग्रेड)	Equivalent Grade (समकक्ष ग्रेड)	Point Grade & Point Range (बिन्दु ग्रेड बिन्दु रेंज)	Equivalence (तुल्यता) (%)	Qualitative Value (गुणात्मक मूल्य)
A	5	>4.5	>80%	Excellent (उत्कृष्ट)
B	4	3.5 -4.49	60-79.9%	Very Good (अति उत्तम)
C	3	2.5-3.49	50-59.9%	Good (उत्तम)
D	2	1.5-2.49	35-49.9%	Satisfactory (संतोषजनक)
E	1	<1.49	<35%	Unsatisfactory (असंतोषजनक)

4. प्रवेश एवं परीक्षा

4.1 प्रवेश नियम

किसी भी पाठ्यक्रम के विद्यार्थी अपने अगले सेमेस्टर या कक्षा में बिना परीक्षा परिणाम / अंकतालिका के प्रवेश ले सकते हैं।

4.1.0 प्रवेश

प्रवेश तब तक नितान्त रूप से अस्थायी होगा जब तक कि विश्वविद्यालय स्तर पर प्रपत्रों की जांच पूर्ण नहीं कर ली जाती।

4.1.1 अकादमिक सत्र

विश्वविद्यालय में वर्ष में दो बार प्रवेश दिया जाएगा। पाठ्यक्रम वार्षिक परीक्षा प्रणाली या सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली पर आधारित होंगे। सेमेस्टर प्रणाली में सेमेस्टर की अवधि छः माह होगी। -

1. ग्रीष्म कालीन सत्र - (प्रवेश मई से प्रारम्भ)
2. शीत कालीन सत्र - (प्रवेश जनवरी से प्रारम्भ)

प्रवेश की अंतिम तिथि

प्रवेश	सत्र	
	ग्रीष्मकालीन	शीतकालीन
आरम्भ की तिथि	01 मई	01 जनवरी
अंतिम तिथि	14 अगस्त	28 फरवरी
विलम्ब शुल्क ₹.250/- के साथ	31 अगस्त	15 मार्च

4.1.2 ऑनलाइन प्रवेश

सभी पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन प्रक्रिया में शुल्क का भुगतान पेमेंट गेटवे (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग) के माध्यम से किया जाना होगा।

‘आनलाइन’ प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी अपने मूल प्रपत्रों को स्कैन कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे एवं दिये गये प्रारूप में अपने हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। ‘ऑफलाइन’ प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ अपने मूल प्रपत्रों की छाया प्रतियों को स्वप्रमाणित लिख आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में स्व-हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

4.1.3 ऑनलाइन पाठ्य सामग्री चाहने वाले छात्रों के लिए

पीजीडीजीआईएस-17, एमए(जीआईएस)-17/ एमएससी(जीआईएस)-17, सीईजीसीएस-17, एमएवाई-17 अथवा एमएईडी-17 कार्यक्रमों के अंतर्गत यदि कोई छात्र ऑनलाइन पाठ्य सामग्री चाहता है (पाठ्यसामग्री विश्वविद्यालय की वेबसाइट के पोर्टल elearning.uou.ac.in से डाउनलोड करना होगा, विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकें उपलब्ध नहीं करायी जायेंगी) तो ऐसे छात्र को उसके कार्यक्रम के चुने हुए वर्ष के कार्यक्रम शुल्क में 15% की छूट प्रदान की जायेगी।

4.1.4 नामांकन

विश्वविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् प्रत्येक विद्यार्थी का नामांकन किया

4. Admission and Examination

4.1 Admission Rules

A learner enrolled in any Programme of the University may seek admission in next semester or class even before declaration of result or issue of marksheet

4.1.0 Admission

Admission shall remain provisional till the complete verification of credentials at the University level.

4.1.1 Academic Session

There shall be two admission cycles of examination. The programmes are offered either in semester or annual examination mode. In semester mode, one semester lasts for six months.

1. Summer Session (Admissions commencing from May)
2. Winter Session (Admissions commencing from January)

Last Date of Admission

Admission	Session	
	Summer	Winter
Opening date	01 May	01 Jan
Last date	14 Aug	28 Feb
With Late fee of Rs. 250/-	31 Aug	15 Mar

4.1.2 Online Admission

Online admission is available in all programmes. In this mode the fee can be paid only through the payment gateway (debit/credit card or Net Banking).

The applicants taking admission through Online mode shall attach their scanned original documents with the application form and submit a signed certificate in the given format. The applicants taking admission through Offline mode shall enclose the self attested photocopies of their original document and a signed certificate in the given format.

4.1.3 Students opting for Online Course material

The student of PGD GIS-17, MA(GIS)-17/MSC(GIS)-17, CEGCS-17, MAY-17 or MAED-17 opting for the online course material (The SLM shall have to be downloaded from the University Website portal elearning.uou.ac.in and hard copy of the course material shall not be provided by the University) shall be given 15% discount on the programme fee for the selected year.

4.1.4 Enrollment

After seeking admission in the University, each learner will be

जाएगा और उसे एक नामांकन संख्या आवंटित की जाएगी जो अभ्यर्थी के लिए परिचायक का काम करेगी। नामांकन संख्या का आवंटन प्रथम प्रवेश परीक्षा में किया जाएगा जिसका उल्लेख अंक तालिका, प्रमाणपत्र एवं उपाधिपत्र में किया जाता है।

4.1.5 पुनःप्रवेश

ऐसे विद्यार्थी जो स्वीकृत अधिकतम अवधि के अंदर अपना कार्यक्रम पूर्ण नहीं कर पाते हैं, वे अग्रांकित प्रकार से पिछली अवधि से आगे पुनःपंजीकरण करा सकते हैं-

कार्यक्रम	कार्यक्रम की अवधि	पुनःप्रवेश की वैधता
प्रमाणपत्र कार्यक्रम	6 माह	6 माह
डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा और एक वर्ष की अवधि के अन्य कार्यक्रम	1 वर्ष	1 वर्ष
स्नातक उपाधि कार्यक्रम	3 वर्ष	3 वर्ष
स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम	2 वर्ष	2 वर्ष

विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे पुनःपंजीकरण आवेदन पत्र अपने सभी स्वप्रमाणित दस्तावेजों और उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की पूर्व अंकतालिका को निर्धारित तिथि तक केवल प्रवेश विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय मार्ग, तीनपानी बाईपास, हल्द्वानी-263139(उत्तराखण्ड) के पते पर भेजें।

पुनःप्रवेश के लिए विद्यार्थी के द्वारा पूर्व अवधि में पूर्ण किये गये सभी प्रश्नपत्र, परियोजना कार्य, मौखिक परीक्षा, फील्ड वर्क इत्यादि का क्रेडिट अंतरित किया जाएगा, तथा उन्हें केवल वह अंश ही पूर्ण करना होगा जो शेष रहा है।

पुनःप्रवेश के लिए विद्यार्थी को सभी अपूर्ण प्रश्नपत्र/ परियोजना कार्य/ मौखिक परीक्षा/ फील्ड वर्क (जो भी लागू हो) के लिए शुल्क चुकाना होगा। शुल्क की तालिका और पुनःपंजीकरण आवेदन पत्र प्रवेश विवरणिका के साथ-साथ विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.uou.ac.in) पर उपलब्ध है।

40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक विकलांगता वाले विद्यार्थियों को सभी कार्यक्रमों के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि के अलावा 2(दो) अतिरिक्त वर्ष का समय दिया जायेगा। ऐसे विद्यार्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया 'अक्षमता प्रमाण पत्र' आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। विकलांग विद्यार्थियों को पुनःप्रवेश की सुविधा शुल्क के बिना ही दी जायेगी, तथापि विकलांग विद्यार्थियों को पुनः प्रवेश आवेदन पत्र शुल्क के बिना जमा कराना अनिवार्य होगा।

पुनःपंजीकरण की प्रक्रिया के लिए आवेदन पत्र, सत्र के आरंभ में प्रवेश प्रक्रिया के समय ही भरे जा सकेंगे।

4.1.6 पार्श्व प्रविष्टि

ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने स्नातक प्रथम या द्वितीय वर्ष अथवा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की परीक्षा किसी अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, उन्हें उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के समतुल्य पाठ्यक्रम - यथा वे पाठ्यक्रम या विषय

issued an enrollment number. The enrollment number acts as a unique identification number. The enrollment number is issued only once and is mentioned on the marksheets, certificates and degrees of the learners.

4.1.5 Re-admission

Those learners who are unable to complete their programme within the maximum duration given, can take re-admission from previous duration in the following manner-

Programme	Duration of the Programme	Validity of re-admission
Certificate Programmes	6 month	6 month
Diploma/P.G.Diploma and Other programmes of One year duration	1 year	1 year
Graduate Degree Programmes	3 year	3 year
Post-Graduate Degree programmes	2 year	2 year

It shall be essential for the learners that they send their re-admission form along with the all self-attested copies of their documents and previous mark sheets of Uttarakhand Open University only to the address of **The Admission section, Uttarakhand Open University, University Road, Teen pani Bypass, Haldwani-263139 (Uttarakhand)**.

For the purpose of re-admission, the credits achieved by the learner previously in all the papers, project work, viva-voce, field work etc. shall be accordingly transferred and they shall have to complete remaining credits/courses only.

Learners shall have to pay the fee for all the incomplete Papers/Project work/Viva-voce/Field works (Whatever is applicable). The table of fee and re-admission form is available in the prospectus as well as in the University's website (www.uou.ac.in).

Students with 40 percent or more disability shall be given two (02) additional years beyond the maximum duration. These students shall have to enclose a 'Disability Certificate' from the competent issuing authority. Physically challenged students shall be re-admitted without fee; however it shall be mandatory for the physically challenged students to submit their re-admission form without application fee.

Application form for re-admission process shall be filled in the beginning of the academic session.

4.1.6 Lateral Entry

Those learners who have passed first or second year of graduation or first year of Post Graduation from any other University may also seek admission through lateral entry in equivalent

जिनमें पूर्व की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है - में द्वितीय या तृतीय वर्ष में पार्श्व प्रविष्टि निम्न प्रावधानों के आधार पर देय होगी:-

1. पूर्व संस्थान से उत्तीर्ण पूर्व परीक्षा के उपरान्त 03 वर्ष के भीतर प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों पर ही पार्श्व प्रविष्टि के लिये विचार किया जायेगा।
2. पार्श्व प्रविष्टि के लिये आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ पूर्व संस्थान / विश्वविद्यालय के तत्संबंधित कार्यक्रम के संबंधित वर्ष / वर्षों का पाठ्यक्रम स्व-हस्ताक्षरित कर संलग्न करना होगा।
3. समतुल्यता के लिये पूर्व संस्थान में पूर्ण किये पाठ्यक्रम का 75 प्रतिशत भाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से मिलान होने पर ही प्रवेश मान्य होगा।
4. यदि पूर्व संस्थान के पाठ्यक्रम का 75 प्रतिशत भाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से न मिलता हो अथवा पाठ्यक्रम के ऐसे कुछ प्रश्नपत्र जो आवेदक ने पूर्व में पूरे कर लिये हों और उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में जो अगले वर्ष/वर्षों में चल रहें हो तो ऐसी स्थिति में आवेदक छात्र के लिए समतुल्यता समिति पाठ्यक्रम के ऐसे पूर्व वर्ष / वर्षों के कुछ प्रश्नपत्रों का अतिरिक्त अध्ययन आवश्यक कर सकेगी।
5. पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्रों द्वारा पूर्व संस्थान के प्राप्तांकों को उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रतिशत में परिवर्तित किया जायेगा जो अंतिम अंकतालिका में तथा छात्र की श्रेणी निर्धारण हेतु मान्य होगा।
6. पार्श्व प्रविष्टि से उपाधि प्राप्त छात्र विश्वविद्यालय पदक के लिये अनुमन्य नहीं होंगे।
7. पार्श्व प्रविष्टि से संबंधित आवेदन पर केवल विश्वविद्यालय मुख्यालय में विचार किया जायेगा और अध्ययन केन्द्रों को ऐसे आवेदन पत्र मुख्यालय भेजने होंगे, समतुल्यता समिति की संस्तुति के उपरान्त ऐसे छात्रों का प्रवेश अपने अध्ययन केन्द्रों में कर सकते हैं।
8. उसी कक्षा में प्रवेश लेने वाले अन्य छात्रों के लिये अध्ययन एवं मूल्यांकन की जो व्यवस्था होगी पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिये भी वही लागू होगी।
9. विश्वविद्यालय के अभ्यर्थी के लिये यह सुविधा पूर्ववत् रहेगी तथा अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थी के मामले में एक विशिष्ट समिति अभ्यर्थी की समतुल्यता, प्रमाण पत्रों एवं प्रवेश के सम्बंध में निर्णय लेगी।

4.1.7 अध्ययन केंद्र परिवर्तन संबंधी नियम

विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में ही विद्यार्थियों का अध्ययन केंद्र परिवर्तित किया जा सकेगा:

किसी अध्ययन केंद्र के स्वतः बन्द होने या विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केंद्र बन्द किए जाने की स्थिति में छात्र द्वारा चयनित अध्ययन केंद्र निःशुल्क परिवर्तित कर दिया जाएगा।

किसी विद्यार्थी के अभिभावक या स्वयं विद्यार्थी का स्थान परिवर्तन हो जाता है तो

programmes of Uttarakhand Open University under the following recommendations:

1. Only those applications shall be considered for the lateral entry which is submitted within 03 years of passing the previous examination from previous institution.
2. A self-signed copy of the syllabus of the concerned course of the related year/years of the previous institution/University should be attached with the application for the lateral entry.
3. For the purpose of equivalence admission shall be allowed only when the syllabus of the completed course from the previous institution gets matched with the syllabus of the Uttarakhand Open University upto the extent of 75 percent.
4. Equivalence Committee may make it compulsory for the applicant students to study the extra papers in case the syllabus of the previous institution does not match with the syllabus of Uttarakhand Open university to the extent of 75 percent or in case some of the papers which the applicant student has already completed and which are in the syllabus of the uttarakhand Open University for the next year/years.
5. In case of the students admitted through the lateral entry, the marks obtained by them from the previous institution shall be converted into the percentage as per the practice in vogue in Uttarakhand Open University for issuing the marksheet and for determining the division of the the student.
6. Students obtaining degree through the lateral entry shall not be entitled for the University Medals.
7. Applications for the lateral entry shall be considered in the University Headquarters only and Study centres shall have to send such applications to the Headquartes, study centres may admit such students after the recommendation of the equivalence committee.
8. The system of study and evaluation for the students admitted through the lateral entry shall remain the same as for the other students of the same class.
9. For the students of Uttarakhand Open University this facility shall remain the same as was in vogue in the University and in the cases of students passed from the other institution/ University a special committee shall take decision with regard to equivalence, certificates and admission.

4.1.7 Rules for Change in Study Centre

The University may change the study centre of a learner under the following circumstances:

If a study centre ceases to function on its own or is closed down by the University, the study centre opted by a learner is changed free of cost.

In case the learner withdraws from one Study Centre and wishes to get transferred into another Study Centre due to a job transfer,

उस स्थिति में रूपया 500 का शुल्क चालान के साथ अनुरोध पत्र एवं प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अध्ययन केंद्र के माध्यम से अथवा सीधे विश्वविद्यालय मुख्यालय में प्रस्तुत करने की स्थिति में अध्ययन केंद्र परिवर्तित किया जा सकेगा। किसी छात्रा के विवाह हो जाने की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र के साथ अनुरोध पत्र, प्रवेश आवेदन पत्र एवं रूपया 500 का शुल्क चालान प्रस्तुत किये जाने पर अध्ययन केंद्र परिवर्तित किया जा सकेगा।

4.1.8 पहचान पत्र

विद्यार्थी विवरणिका में संलग्न पहचान पत्र पूर्ण रूप से भरकर अपने अध्ययन केंद्र से सत्यापित कर इसका प्रयोग कर सकते हैं। पहचान पत्र के प्रारूप को विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से स्वयं भी डाउनलोड कर सकता है।

4.1.9 प्रवेश में आरक्षण की नीति

विश्वविद्यालय में प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षण के नियम लागू होंगे।

4.1.10 शुल्क वापसी

आरक्षित श्रेणी के छात्रों की शुल्क वापसी के आवेदन पत्रों, जो निर्धारित तिथि तक प्राप्त होंगे, को विश्वविद्यालय द्वारा शासन के संबंधित विभाग की शुल्क वापसी योजना के अनुरूप शासन के संबंधित विभाग को अग्रसारित किया जाता है। विद्यार्थी के आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि न हुई हो- 100 प्रतिशत शुल्क वापसी। विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम न चलाया जा रहा हो - 100 प्रतिशत शुल्क वापसी। आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि हो जाने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन निरस्त किए जाने पर - 90 प्रतिशत शुल्क वापसी। आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि होने के पश्चात परन्तु अध्ययन सामग्री दिए जाने के पूर्व यदि छात्र द्वारा शुल्क वापसी हेतु अनुरोध किया गया हो- 90 शुल्क प्रतिशत वापसी। आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि तथा अध्ययन सामग्री दिए जाने के पश्चात् यदि छात्र द्वारा शुल्क वापसी हेतु अनुरोध किया गया हो - शून्य परीक्षा शुल्क किसी भी स्थिति में न तो अग्रसारित किया जाएगा न ही वापस किया जाएगी।

4.1.11 प्रवेश नियम:

4.1.12 पाठ्यक्रम / विषय / कोर्स में परिवर्तन

1. **ऐच्छिक विषय तथा माध्यम में परिवर्तन:** अध्ययन सामग्री प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्तर्गत रू300/- की दर से अतिरिक्त शुल्क जमा कर अभ्यर्थी द्वारा ऐच्छिक विषय में परिवर्तन किया जा सकता है। इसी दर से शुल्क जमा कर वह शिक्षण/परीक्षा के माध्यम (मीडियम) में भी परिवर्तन कर सकता है।

2. **पाठ्यक्रम में परिवर्तन:** शैक्षिक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यक्रम परिवर्तन भी किया जा सकता है। अभ्यर्थी अध्ययन सामग्री प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर रू0 1500/- अतिरिक्त शुल्क जमाकर पाठ्यक्रम परिवर्तन कर सकता है। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम सम्बन्धी समस्याएं विश्वविद्यालय नियमों के अन्तर्गत विचाराधीन होंगी। विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में ही विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम / विषय परिवर्तन किया जा सकेगा:

- प्रवेश फॉर्म की आन लाइन प्रविष्टि की तिथि से 60 दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करने पर पाठ्यक्रम / विषय परिवर्तन किया जा सकेगा। उक्त अवधि के बाद प्राप्त आवेदनों पर

then his/ her study centre can be changed after s/he produces the Challan of Rs.500/ fee along with admission form and application of transfer.

If a female learner gets married and it necessitates the change of the current Centre, then she will have to submit her marriage certificate along with the application form for the change of centre and admission form. In such a case, the Study Centre may be changed for which requisite fee of Rs. 500 shall be payable.

4.1.8 Identity Card

Student could use Identity card attached with this prospectus after duly filled in and attestation by the Coordinator of study center. Format of Identity card can also be downloaded from the website of the University.

4.1.9 Policy of Reservation in Admission

Reservation Policy of the State Government will be applicable in admission.

4.1.10 Fee Reimbursement

As per the fee refund scheme, the application of the students from reserved category is forwarded to the concerned Department.

If the application form has not been entered in SIS, 100% fee is refunded.

If the University stops running a Programme, 100% fee refunded
If the University cancels the admission, 90% fee is refunded.

If a student requests for cancellation of admission before the study material has been delivered, then 90% fee is refunded.

If a student requests for cancellation after the study material has been delivered, then no refund is possible.

In any case, the examination fee will neither be carried forward nor be refunded.

4.1.11 Admission rule:

4.1.12 Change in Programme/ Subject/ Course

1. **Change in Optional Subject and Medium:** The learners may change his/her optional subject by depositing an additional fee of Rs. 300/- within 30 days of receiving the SLM. The medium of instruction/ examination may also be changed for the same amount.

2. **Change in Programme:** If a learner wishes to change his/ her programme in first year, then s/he is permitted to do so by paying an amount of Rs.1500/- within 30 days of receiving the study material. In addition to this, the problems related to a programme may also be considered only as per the University rules. The University may change Programme / Subject of a learner only under the following conditions:

- A learner may change his/her Programme / Subject within 60 days of online entry of the admission form, if s/he applies for the same in the given format along with requisite fee. The

कोई विचार नहीं किया जाएगा।

- पाठ्यक्रम परिवर्तन की दशा में यदि नए पाठ्यक्रम / विषय का शुल्क कम है तो आधिक्य का समायोजन नहीं किया जाएगा तथा चाहे गए पाठ्यक्रम का शुल्क पूर्व के पाठ्यक्रम से अधिक है तो अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थी द्वारा जमा किया जाएगा। दोनों ही दशा में पाठ्यक्रम परिवर्तन शुल्क अतिरिक्त देय होगा।

उक्त व्यवस्था हेतु शुल्क का निर्धारण इस प्रकार किया गया है:

अध्ययन केंद्र परिवर्तन हेतु: ₹ 500.00

पाठ्यक्रम परिवर्तन हेतु: ₹ 1500.00

विषय परिवर्तन हेतु: ₹ 300.00

दो विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश /परीक्षा से सम्बन्धी

यदि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी पाठ्यक्रम में नामांकित किसी विद्यार्थी द्वारा ऐसे पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत इस पाठ्यक्रम को स्थगित रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लिए जाने हेतु आवेदन किया जाता है, तो इस हेतु निम्न शर्तों के अधीन अनुमति होगी:

- विद्यार्थी द्वारा पहले प्रवेश लिए गए पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/सेमेस्टर को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही इस प्रकार के आवेदन स्वीकार्य होंगे।
- प्रथम पाठ्यक्रम को स्थगित किए जाने तथा किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रवेश हेतु घोषित तय समयवाधि के अंतर्गत निदेशक प्रवेश को विधिवत् आवेदन किया जाना होगा।
- प्रथम प्रवेश पाठ्यक्रम के स्थगन एवं द्वितीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति उपरांत विद्यार्थी द्वारा द्वितीय प्रवेश लिए गए पाठ्यक्रम को नियमानुसार पूर्ण करना होगा एवं द्वितीय पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के उपरांत ही पूर्व में स्थगित रखे गए पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर में पुनः प्रवेश की अनुमति होगी।
- उक्तानुसार अनुमति प्रदान किए गए दोनों पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु उतनी ही समयवाधि मान्य होगी जितनी कि प्रथम प्रवेश पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु अनुमन्य है।
उदाहरणस्वरूप- यदि विद्यार्थी द्वारा प्रथम बार एम0ए0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जाता है जिसको पूर्ण करने हेतु विद्यार्थी को कुल 6 वर्ष की समयवाधि नियमानुसार अनुमन्य है एवं विद्यार्थी द्वारा एम0ए0 प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने के पश्चात् एम0ए0 पाठ्यक्रम को स्थगन में रखते हुए एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन किया जाता है तो अनुमति की स्थिति में विद्यार्थी को दोनों पाठ्यक्रम प्रथम प्रवेश के समय आवंटित नामांकन संख्या (Enrollment No.) प्राप्ति की तिथि से 6 वर्षों की समयवाधि में ही पूर्ण करने होंगे, अन्यथा की स्थिति में शेष रह गए पाठ्यक्रम में प्रवेश निरस्त माना जाएगा।
- प्रत्येक दशा में विद्यार्थी को विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु एक ही नामांकन संख्या (Enrollment No.) जो विश्वविद्यालय में प्रथम प्रवेश के समय आवंटित की गई हो, ही मान्य होगी।

applications received after the above mentioned duration will not be considered.

- In the case of change in programme/ subject, if the new programme or subject has a lower fee than the programme / subject opted earlier, then the remaining amount will not be adjusted and if the desired programme / subject has a higher fee than the previous programme/ subject opted for by the learner, then s/he will have to pay an additional fee. In both the cases, the fee for change in programme / subject will be payable additionally.

As per the above mentioned arrangement, the fee is determined as under:

Change of Study Centre: Rs. 500/-

Change of Programme: Rs. 1500/-

Change of Subject:Rs. 300/-

Admission/Examination in two different Programmes

If a student is enrolled in any programme and having passed the first year / semester examination, wishes to suspend that programme and apply for admission in a new programme, he/she can do so if s/he fulfills the following conditions:

- Only those students who have successfully passed the first year / semester examination of the Programme in which they are enrolled are eligible for this facility.
- The student seeking to suspend the present programme of study, so as to apply for admission in a new Programme, will duly submit his/her application to the Director, Admission within prescribed date for new admission.
- Only after successfully completing the second (new) programme of study, the student will be allowed admission in the second year/semester of the previous suspended programme.
- The student availing this facility will have to complete both the programmes within the time limit permissible at the time of admission in the first programme.
For example, if a student enrolled in MA programme, for completing which the prescribed time limit is 06 years, decides to suspend it after passing the first year examination and seeks admission in a new programme, MBA, for example, s/he will have to complete both MA and MBA within 06 years from the date of enrollment in the MA programme, failing which the admission in the incomplete programme will stand cancelled.
- The enrollment number generated at the time of the student's first admission in any of the UOU programmes will remain valid for all subsequent programmes of study.
- A student can study and appear for examination in only one degree programme in a given academic session. However, s/he can opt for admission in Diploma/ Certificate

- शिक्षार्थी को किसी एक शैक्षिक सत्र में केवल एक ही डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश/परीक्षा की अनुमति होगी। हालांकि उसे डिग्री के अतिरिक्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रवेश/परीक्षा की अनुमति होगी।

Programme in addition to the degree programmes.

4.1.13 सामान्य नियम

4.1.13 General Rules

- विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में केवल वे अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र हैं जो विद्या परिषद द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता को पूर्ण करते हों। प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु उसकी प्रवेश अर्हता का उल्लेख सम्बन्धित विवरण में दिया गया है।

- Only those applicants, who fulfill the required educational qualifications as decided by the Academic Council, are eligible for the programmes offered by the University.

बीएपीपी/बीसीपीपी/बीसीएपीपी परीक्षा में पूर्व में उत्तीर्ण छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात तीन वर्ष तक ही स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये अनुमत्य होंगे।

- Students, who have passed BAPP/BCPP/BCAPP examination, shall be eligible for taking admission in graduate programmes only within three year after passing such examinations.

- प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एवं निर्गत आवेदन पत्र ही मान्य होंगे।

- Only those application forms will be acceptable which are issued and determined by the University.

- प्रवेश आवेदन पत्र सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र अथवा विश्वविद्यालय से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त किए जा सकते हैं।

- Admission forms may be obtained from the concerned Study Centres or the University Headquarters by paying the requisite fee.

- अभ्यर्थी का प्रवेश उसी अध्ययन केन्द्र में माना जाएगा, जहाँ उसने पूरित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो / पंजीकरण कराया हो।

- An applicant will be enrolled only in that Study Centre where his/her application forms has been submitted.

- केवल पूर्ण स्पष्ट रूप से भरे हुए ऐसे प्रवेश आवेदन पत्र जिनके साथ विद्यार्थी द्वारा स्वप्रमाणित एवं सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र द्वारा सत्यापित अभिलेख/ प्रमाण पत्र संलग्न हों, ही प्रवेश हेतु स्वीकार्य एवं मान्य होंगे।

- Only those admission forms which are duly verified and forwarded by the concerned Study Centre, along with self attested copies of testimonials shall be treated as valid and acceptable for admission.

- विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु मात्र उन्हीं स्कूल बोर्डों/ विश्वविद्यालयों/ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं उपाधियों मान्य होंगी जिन संस्थानों की ऐसी उपाधियों को सेंट्रल बोर्ड आफ सेकण्डरी ऐजुकेशन/ विद्यालयी शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समकक्षता/ मान्यता प्रदान की गई हो।

- Only the degrees / certificates issued by institutions which are recognized by Central Board of Secondary Education/ Uttarakhand Madhyamik Shiksha Parisad/ University Grant Commission, shall be accepted as valid for admission in the University.

- केवल उन पाठ्यक्रमों को छोड़कर जिनके लिए प्रवेश परीक्षा निर्धारित है, अन्य समस्त पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश दिए जाएंगे।

- Except for those programmes where entrance examination is conducted, there is a provision for direct admission in all other programmes.

- प्रवेश परीक्षा द्वारा आच्छादित पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा की तिथियाँ विश्वविद्यालय द्वारा यथासमय घोषित की जाएंगी।

- Those programmes where admission is through entrance test, the dates of such tests will be declared by the University

- विशिष्ट प्रकरणों में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात अनुमत्य प्रवेश पर रु. 2000 का विलम्ब शुल्क देय होगा।

- In special cases, if a learner is permitted admission after the last date, s/he will be charged Rs. 2000/- as late fee

- प्रवेश आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि के पश्चात एक पूर्व घोषित अवधि तक ही विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र स्वीकार्य होंगे। उक्त अवधि के उपरान्त किसी भी दशा में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

- The application forms will be acceptable till the last date of admission. However, there is a provision for acceptance of application forms along with late fee charges for a particular time period. After the last date, no form will be accepted in any case.

- सामान्यतः विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु कोई न्यूनतम अथवा अधिकतम आयु सीमा नहीं है। किन्तु यदि किसी पाठ्यक्रम विशेष के लिए आयु सीमा का निर्धारण है तो यह उस पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में अनिवार्य दशा होगी।

- Generally, there is no minimum and maximum age limit for admission in general. However, if there is any such rule mentioned in any programme, then it will be a mandatory pre-condition for seeking admission in that programme.

- वर्तमान सत्र के आवेदन पत्र केवल वर्तमान सत्र के लिए ही मान्य हैं।

- The application forms pertaining to a particular session are valid for that particular session only.

- अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, अध्ययन केन्द्र द्वारा बिना अग्रसारित व विलम्ब से प्राप्त हुए आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियाँ अत्यन्त सावधानी पूर्वक भरेंगे।

- Incomplete or wrongly filled application forms without being duly forwarded to Study Centre, and applications received after due date of admission shall be cancelled. Therefore, applicants

तथा कोई वांछित सूचना न तो छिपाएंगे और न ही गलत ढंग से प्रस्तुत करेंगे।

- आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक शैक्षिक प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित तथा संबंधित अध्ययन केंद्र द्वारा सत्यापित छाया प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है।
- विश्वविद्यालय ने जिन पाठ्यक्रमों हेतु बाह्य-सहयोगी संस्थाओं से अनुबन्ध किया है, उनके लिए प्रवेश विश्वविद्यालय अथवा सम्बन्धित संस्थानों की प्रवेश नीति के आधार पर होगा।

4.1.14 अपूर्ण एवं देर से प्राप्त आवेदन पत्र

ऐसे आवेदन पत्र जो अपूर्ण होंगे तथा देर से प्राप्त होंगे, उन्हें निरस्त किए जाने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा। अन्यथा की स्थिति में ऐसे आवेदन पत्रों को विलम्ब शुल्क के साथ स्वीकार किया जाना उच्च अधिकारियों की स्वीकृति से ही सम्भव होगा।

4.1.15 आवेदन पत्र भेजने हेतु निर्देश

प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्रारूप एवं निर्देश विवरणिका के अन्त में संलग्न है। कृपया परिशिष्ट I एवं II का अवलोकन करें। विद्यार्थी दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रवेश फॉर्म भर कर अपने नजदीकी अध्ययन केंद्र में जमा कर सकता है।

4.1.16 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भेजने हेतु निर्देश

विद्यार्थी अपना आवेदन आनलाइन भी कर सकते हैं। ऐसे शिक्षार्थी, जो आनलाइन पद्धति से प्रवेश लेते हैं, को विवरणिका शुल्क देय नहीं होगा। आनलाइन आवेदन करने हेतु निर्देश विवरणिका के अन्त में दिए गए हैं। कृपया परिशिष्ट II का अवलोकन करें।

4.1.17 विदेशी अभ्यर्थियों का प्रवेश

विदेशी आवेदकों के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों, प्रमाणकों तथा उनकी अर्हता की प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त जाँच की जाएगी।

2. अर्हता के सम्बन्ध में विदेशी छात्रों के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों के परिसंघ के द्वारा जारी 'समानता प्रमाण पत्र' प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा (इस प्रमाण पत्र का वर्तमान में प्रचलित नमूना परिसंघ की वेबसाइट से लिया जा सकता है)।

उक्त बिन्दु 1 तथा 2 में अर्हता सुनिश्चित हो जाने के पश्चात ऐसे आवेदकों को कुलसचिव के द्वारा आशय - पत्र जारी किया जाएगा।

इस आशय- पत्र की सहायता से विदेशी अध्ययनार्थी अपने दूतावास से भारत सरकार के नियमों के अन्तर्गत 'विद्यार्थी वीजा' प्राप्त करेंगे।

वैद्य 'विद्यार्थी वीजा' प्रस्तुत करने पर ही विदेशी अध्ययनार्थियों को विश्वविद्यालय में नियमानुसार प्रवेश अनुमत्य किया जाएगा।

are advised to fill up all the information carefully. They should neither hide any required information nor project it wrongly.

- It is mandatory to produce all the necessary self attested photocopies of one's testimonials, duly verified by the concerned study centre.
- Admissions for those programmes which are being offered in a collaborative mode, shall be granted permission as per the admission policy of Uttarakhand Open University or the concerned collaborators.

4.1.14 Incomplete forms and forms received after due date

The University has the right to cancel incomplete application forms and also those that are received after due date. However, such forms may be accepted only after the approval of the competent authorities with late fee charges.

4.1.15 Instructions for sending application forms

The application form for admission and directions for filling it, are attached at the end of this Prospectus. Please refer to Annexure I & II for the same. Learner may fill application form as per the guidelines and submit the same to the nearest study centre.

4.1.16 Instructions for Sending Online Application Forms

Learners may also fill application forms online. The students who opt for online admission, shall not have to pay Rs.100/- towards the prospectus. The directions for filling online application form are given at the end of this prospectus. See Annexure II.

4.1.17 Admission of foreign students

All information provided by the foreign applicants, together with their certificates and qualifications, will be duly verified in the University.

With regard to the eligibility criteria, students from foreign countries will be required to procure an Equivalence Certificate, issued by the Association of Indian Universities. (AIU) (A sample of this certificate can be taken from the AIU website).

Once the student fulfills the eligibility requirements, as mentioned in points number 1 and 2, a Letter of Intent will be issued by the Registrar.

With the help of the Letter of Intent, the students from foreign countries will be able to obtain 'student-visa' from the embassies of their respective countries.

A foreign student will be granted admission in the University only when he/she produces a legal 'student-visa'.

Students from Nepal, Bhutan and Tibet will be granted admission as per the rules of the local Police Department. Furthermore,

नेपाली, भूटानी अथवा तिब्बती मूल के अध्ययनार्थियों को स्थानीय पुलिस के द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत ही प्रवेश दिया जा सकेगा तथा इन अध्ययनार्थियों को इस विश्वविद्यालय के अध्ययनार्थी रहते हुए सम्पूर्ण अवधि में इस हेतु निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

भारत सरकार/राज्य सरकार/गृह विभाग तथा स्थानीय पुलिस के द्वारा समय-समय पर इस संबंध में बनाए गए नियम नेपाली/भूटानी/तिब्बती/अन्य विदेशी अध्ययनार्थियों द्वारा स्वतः ही पालन किए जाने योग्य होंगे, और इन नियमों का उल्लंघन करने पर विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

these students will have to abide by the University rules as long as they remain the bona-fide students of the University.

It is expected of the students from Nepal, Bhutan, Tibet and other foreign countries that they follow the rules framed by the Government of India, Ministry of Home Affairs, State Government and local Police Department. However, if these students are found flaunting the rules, the University will have the rights to cancel their admission.

आदर्श अध्ययन केंद्र (11000 एवं 16000)

विश्वविद्यालय के हल्द्वानी एवं देहरादून स्थित दो आदर्श अध्ययन केंद्रों पर व्यापक ढंग से परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर प्रौद्योगिकी, पुस्तकालय एवं रोजगार सहायता की सुविधाएं भी उपलब्ध है।
कृपया विस्तृत विवरण के लिए देखिये पृष्ठ 5

Model Study Centres (11000 & 16000)

At the Modal Centres of Haldwani & Dehradun, Extensive Counselling sessions are held, Facilities of technology, library and placement help are also available here.

For detail please see page 5

4.2 परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति

4.2.1 परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता

परीक्षा का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जानी वाली प्रवेश तथा उन सभी परीक्षाओं से है जो विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु अथवा छात्रों द्वारा पढ़े जाने वाले पाठ्यक्रमों हेतु लिखित, मौखिक, ऑनलाइन आदि प्रकार से निर्धारित है।

परीक्षाओं में सम्मिलित होने की पात्रता एवं अनिवार्यता: प्रत्येक विद्यार्थी जिसने विश्वविद्यालय में विधिवत् प्रवेश लिया हो, विश्वविद्यालय में पंजीकृत हो एवं नामांकन कराया हो तथा जिसने सत्रीय कार्य पूर्ण कर जमा कर दिया हो और विश्वविद्यालय का शिक्षण शुल्क तथा परीक्षा शुल्क जमा किया हो, वह परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र होगा।

परीक्षार्थी/आवेदन कर्ता को प्रवेश आवेदन के साथ ही परीक्षा केन्द्र का चयन करना होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परीक्षा से संबंधित परीक्षार्थियों के लिए (वैक व सुधार परीक्षा को छोड़कर) अलग से परीक्षा आवेदन फार्म भरने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उन समस्त विषयों की परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, जो उस पाठ्यक्रम के लिए वर्ष विशेष में उसके द्वारा चयनित किए गए हों। यदि कोई छात्र किसी परीक्षा अथवा किसी विषय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है, तो उसे उस विषय की परीक्षा अथवा सम्पूर्ण परीक्षा (यथा स्थिति) में अनुपस्थित माना जाएगा।

यदि छात्र पूरी परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उसे संबंधित कक्षा के लिए पुनः पंजीकरण नहीं करवाना होगा और न ही प्रवेश संबंधी शुल्क का भुगतान करना होगा। छात्र को केवल उस वर्ष के लिए ₹0 200/- प्रति प्रश्नपत्र बैक परीक्षा शुल्क के साथ बैक परीक्षा फॉर्म भरकर परीक्षा हेतु आवेदन करना होगा। साथ ही वह उस कक्षा की अगले वर्ष की परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है। परीक्षार्थी के पास विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश पत्र जिसमें छात्र की फोटो लगी हो, अवश्य होनी चाहिए। परीक्षार्थी के पास अपना पहचान पत्र (वोटर आई.डी., लाइसेंस, पैन कार्ड आदि) होना चाहिए।

4.2.2 सत्रीय कार्य

स्नातक, परास्नातक डिप्लोमा एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी सत्रीय कार्य के सन्दर्भ में निम्नलिखित पर विशेष रूप से ध्यान दें –

1. सत्रीय कार्य केवल हस्तलिखित होना चाहिए।

4.2 Examination & Evaluation System

4.2.1 Eligibility for Participation in Examination

Examination implies to all those entrance and other examinations which are conducted by the University either annually or in semester mode. These may be written and oral for various programmes opted by the learners.

Eligibility for attending examination and obligations:- Each learner who is registered and has taken admission as per rule, i.e., who has been enrolled/ registered and has deposited the programme fee, examination fee, and also submitted the assignments will be eligible for appearing in the examination.

Students/examinees shall have to choose their exam center (mandatorily) at the time of admission. Examination form(s) shall not be filled separately, excluding back/improvement exams.

Every learner will have to take examination in all those subjects which have been chosen by him/ her. If a learner does not appear in any paper, then s/he shall be deemed as absent in that paper or the entire examination (as the case may be). No marks shall be allotted to the absentee learner. If a learner remains absent in all the subjects then s/he shall neither have to re-register in all the subjects for that year nor shall have to pay the entire admission related fee. However, the student will have to pay Rs. 200/- per question paper with back examination fee along with the back examination form. At the same time s/he may also apply for the examination in next academic calendar. It is mandatory for the examinee to carry the admit card to the examination hall. The examinee also needs to carry his/her identity card (Voter ID, License, PAN card etc) with him/her.

4.2.2 Assignments

The learners of Graduate, P.G.Diploma and Post Graduate programmes should pay special attention to the following:-

1. Assignments should be hand written only.

2. Answers to the questions should be within the specified word

2. पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्धारित शब्द सीमा में ही लिखें।
3. अपने सत्रीय कार्यों को निर्धारित अवधि के भीतर ही अध्ययन केन्द्र में जमा (प्रस्तुत) करें। सत्रीय कार्य के अंक अध्ययन केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाएंगे।
4. अंतिम तिथि के बाद छात्र द्वारा सत्रीय कार्य जमा करने हेतु छात्र को ₹0 100 प्रति सत्रीय कार्य की दर से जमा करना होगा। यदि सत्रीय कार्य के अंक अध्ययन केंद्रों के द्वारा समय से प्रविष्ट नहीं किए जाते हैं तो इस स्थिति में ₹0100/- प्रति छात्र प्रति सत्रीय कार्य की दर से सम्बन्धित अध्ययन केंद्र के अंश से कटौती करने के उपरान्त सत्रीय कार्य के अंक प्रविष्ट किए जाएंगे। अतः अपने अध्ययन केंद्रों से सम्पर्क कर सुनिश्चित कर लें कि सत्रीय कार्य के अंक विश्वविद्यालय को समय से प्रेषित कर दिए गए हैं।
5. मूक प्रमाणपत्र युक्त शिक्षार्थियों को सत्रीय कार्य में उचित मान दिया जायेगा। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अलग से आदेश जारी किये जायेंगे।
6. सत्रीय कार्यों में 40 प्रतिशत से कम अथवा 80 प्रतिशत या अधिक अंक होने पर विश्वविद्यालय द्वारा पुनरीक्षण कर अंक प्रदान किये जायेंगे। सभी अध्ययन केन्द्र सभी सत्रीय कार्यों को सुरक्षित रखेंगे और ऐसे सत्रीय कार्यों को विश्वविद्यालय प्रेषित करेंगे जिनमें 40 प्रतिशत से कम अथवा 80 प्रतिशत या अधिक अंक दिये गये हैं। छात्रों से भी यह अपेक्षा है कि सत्रीय कार्य की एक प्रति वे अपने पास सुरक्षित रखें।

4.2.3 विभिन्न परीक्षाओं हेतु अंकों का निर्धारण

(क) ऐसे विषय जिनमें प्रयोगात्मक कार्य न हों-

1. सत्रीय कार्य- 20 % अंक
2. लिखित परीक्षा- 80 % अंक

(ख) ऐसे विषय जिनमें प्रयोगात्मक कार्य होते हैं-

1. सत्रीय कार्य 20 % अंक
2. प्रयोगात्मक कार्य 20 % अंक
3. लिखित परीक्षा 60 % अंक

(ग) पूर्णरूपेण मौखिक परीक्षा अथवा प्रोजेक्ट कार्य 100 अंक अथवा सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित व्यवस्था।

(घ) जिन पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक प्रशिक्षण होगा उनमें संतोषजनक अथवा असंतोषजनक के रूप में मूल्यांकन कार्य किया जाएगा।

नोट: प्रमाणपत्र परीक्षा, डिप्लोमा परीक्षा अथवा उपाधि परीक्षा में यदि एक ही प्रश्नपत्र प्रयोग हो रहा हो और इन सभी में पूर्णांक भिन्न- भिन्न हो तो प्रथमतः सभी प्रश्नपत्र 80 अथवा 40 पूर्णांकों के अनुरूप ही तैयार किए जायेंगे किन्तु बाद में सम्बन्धित छात्र के पंजीकरण के वर्ष के सम्बन्धित पाठ्यक्रम के अनुरूप ही उक्त 80 अथवा 40 पूर्णांकों को आनुपातिक रूप से परिवर्तित कर परिवर्तित अंकों को ही सम्बन्धित छात्र के परीक्षा परिणाम में प्रदर्शित किया जायेगा।

उदाहरण के लिए:- यद्यपि कि प्रश्नपत्र 80 अंक का होगा किन्तु यदि छात्र के द्वारा दी गयी प्रमाणपत्र परीक्षा में वही प्रश्नपत्र 100 अंकों का है तो छात्र के प्राप्तकों को आनुपातिक रूप से 80 के स्थान पर 100 के स्केल में परिवर्तितकर दिया जायेगा।

4.2.4 परीक्षा में उत्तीर्ण होने के मानदण्ड

limit.

3. Learners need to submit their assignments to their respective Study Centres within the specified time.
4. Learner shall have to deposit Rs. 100/- per assignment after due date of submission of the assignments. If the marks of the assignments are not entered by the Study Centre on time, then Rs.100/- per assignment per student, will be deducted from the share of the Study Centre. The marks can be entered only after the above mentioned deductions are made. Therefore, the learners should ensure that the marks of their assignments reach the University within the stipulated time.
5. Candidates with MOOCs Certificate will be given weightage in internal assessment. A separate circular will be issued in this regard.
6. The assignments given less than 40 percent and the assignments given 80 percent or more marks may be reviewed and given marks at the University. All the Study Centres shall retain all assignments and send such assignments to the University, which have been given less than 40 percent and 80 percent or more marks. Students are also required to keep a copy of their assignments with them.

4.2.3 Allocation of Marks in Various Exams

A) Subjects without laboratory work:

1. Assignment- 20 % marks
2. Written Examination 80% marks

B) Subjects with laboratory work:

1. Assignments 20 % marks
2. Laboratory Examination 20 % marks
2. Written Examination 60% marks

C) Complete Oral Exam or Project work: 100 Marks or the marks allotted by the concerned School.

D) The evaluation of programmes involving practical training shall be marked by the concerned Departments.

Note: If a particular question paper is being used simultaneously in certificate, diploma and degree examinations and there is a difference in maximum marks in these programmes for the same question paper, initially, all such question paper(s) shall be prepared according to the 80 or 40 maximum marks format. Thereafter, depending upon the session of admission, the 80 or 40 maximum marks format will be converted proportionately according to the programme of student's registration year and shall be declared as the student's result in the mark sheet.

For example- If a question paper is of 80 (max .marks) but in the certificate program/course the student has opted for, the same paper is of 100 (max. marks), conversion shall be applied to declare the result on a scale of 100.

4.2.4 Criteria for Passing Examination

प्रत्येक वर्ष में पंजीकृत छात्र द्वारा उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक (सत्रीय कार्य, प्रयोगात्मक परीक्षा, मौखिक परीक्षा, परियोजना कार्य एवं लिखित परीक्षा में पृथक-पृथक) प्राप्त करना आवश्यक है। यदि कोई छात्र किसी विषय में उपर्युक्त विधि से निर्धारित अंक प्राप्त नहीं करता तो उसे उस विषय में अनुत्तीर्ण माना जाएगा। अनुत्तीर्ण छात्र को उस विषय में उत्तीर्ण होने के लिए पुनः परीक्षा देनी होगी। परन्तु किसी विषय में अनुत्तीर्ण छात्र उस पाठ्यक्रम के अगले वर्ष में अस्थाई प्रवेश ले सकता है तथा उस विषय की परीक्षा भी अगले वर्ष की परीक्षा के साथ दे सकता है।

4.2.5 परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन

परीक्षा केन्द्र परिवर्तन:

परीक्षार्थी यदि अपना परीक्षा केन्द्र परिवर्तन करना चाहता है तो वह परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि से 02 माह पूर्व परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु विश्वविद्यालय वेबसाइट uou.ac.in में उपलब्ध परीक्षा केन्द्र परिवर्तन ऑनलाइन लिंक के माध्यम से अपना परीक्षा केन्द्र परिवर्तन कर सकता है। उक्त समयपरांत बिन्दु न0 2 लागू किया जायेगा।

आवंटित परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन हेतु निर्धारित शुल्क रू0 500/- का भुगतान परीक्षार्थी द्वारा किया जायेगा। यह नियम बैंक परीक्षार्थियों के लिए भी मान्य होगा।

4.2.6 शुल्क भुगतान

किसी भी प्रकार का प्रवेश अथवा परीक्षा शुल्क नकद रूप में मान्य नहीं होगा। सभी प्रकार के शुल्क का भुगतान बैंक चालान के माध्यम से अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार करना अनिवार्य होगा।

4.2.6.1 परीक्षा शुल्क समायोजन

परीक्षार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा की मुख्य परीक्षा से संबंधित परीक्षार्थी को यह विशेष सुविधा दी जा रही है कि जिन विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश आवेदन के साथ ही परीक्षा शुल्क जमा किया गया है उससे संबंधित परीक्षार्थी यदि उस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं तो उनका परीक्षा शुल्क आगामी परीक्षा (केवल 6 माह) के लिए सुरक्षित रखकर अगली परीक्षा में सम्मिलित कर लिया जायेगा। निर्धारित समयवधि के उपरांत यह सुविधा मान्य नहीं होगी। परीक्षा शुल्क समायोजन हेतु परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय वेबसाइट uou.ac.in में उपलब्ध ऑनलाइन लिंक के माध्यम से परीक्षा की तिथि से 02 माह पूर्व सूचित करना अनिवार्य होगा।

4.2.7 सुधार परीक्षा

1. परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् यदि कोई परीक्षार्थी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में प्राप्त अंकों में सुधार करने की इच्छा रखता है तो वह रू0 200/- प्रति प्रश्नपत्र की दर से शुल्क का भुगतान कर सुधार परीक्षा (Improvement Examination) दे सकता है।

2. केवल उत्तीर्ण परीक्षार्थी (जो सभी प्रश्नपत्रों में उत्तीर्ण हो) सुधार परीक्षा दे सकता है।

परीक्षार्थी स्नातक स्तर में किसी एक विषय/ग्रुप में सुधार परीक्षा दे सकता है।

PWG परीक्षार्थी भी (Improvement Examination) देने के लिए योग्य होगा। लेकिन ऐसे परीक्षार्थी केवल उसी विषय/प्रश्नपत्र में सुधार परीक्षा दे सकता है जिसमें उन्होंने ग्रेस अंक प्राप्त किये हैं।

स्नातकोत्तर स्तर में परीक्षार्थी किसी एक प्रश्नपत्र में सुधार परीक्षा दे सकता है।

नोट- यदि सुधार परीक्षा के फलस्वरूप संबंधित परीक्षार्थी के अंकों में वृद्धि होती है तो संशोधित अंक परीक्षाफल में अंकित किए जायेंगे परन्तु यदि सुधार परीक्षा के फलस्वरूप प्राप्तांक कम हो जाते हैं तो पूर्व प्राप्तांक यथावत् बने

A minimum of 35% marks in each paper will be mandatory for passing any examination. The learners need to pass separately in assignments/ laboratory examination/ Project Work as well as the written examination. If an examinee fails to secure 35% marks in any paper, s/he shall be declared fail in that paper and s/he will have to reappear in that paper the next year. However, a learner who has not been able to pass all the papers or some of the papers, may take admission for the next academic year and take both the examinations simultaneously in the next academic calendar.

4.2.5 Change in Examination Centre

1) Students/examinees shall be provided a time frame/window to change/correct their respective exam center, two months prior to the commencement of exams, via change **examination center link** provided at University Website www.uou.ac.in After this period point no. 2 shall be applied.

2) Any change in exam center other than the above window will be charged Rs.500/ only. This shall be applied to Back examinee too.

4.2.6 Payment of Fees

Admission or examination fee is not acceptable in cash. It is mandatory to pay all types of fee either through Bank Challan or as per other modes of payment specified by the University.

4.2.6.1 Adjustment of examination fee:

In favour of students those have already submitted exam fee along with admission for annual/ semester exams (main examination only) willing to skip/opt-out of the current year/session exams, shall be provided a link at www.uou.ac.in to retain their exam fees till the immediate next term exam (within six months). The examinee will inform university about skip/opt-out of the current year/session exams, via provided link two months in advance.

4.2.7 Improvement Examination

1) Pass students (UG&PG) can opt for improvement examination, @Rs.200/ per paper in the immediate next term exam (within six month).

2) Student/examinee should be clear/pass in all the subjects to appear in improvement exam.

3) Pass with Grace (PWG) students are also eligible for improvement exam, only in the subject/paper passed with grace.

4) Examinee(s) can appear only in one subject/ group for improvement exam at UG level.

5) PG students can appear for improvement in one paper only, of their choice.

NOTE: If the marks obtained in improvement exam are less than the previous attempt, best of the two (attempts) will be considered as final result.

रहेंगे।

4.2.8 बैक पेपर की सुविधा

विद्यार्थी यदि अपने चयनित पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण (फेल) होता है तो रु. 200/ प्रति प्रश्न पत्र की दर से शुल्क का भुगतान कर पुनः परीक्षा दे सकता है। विद्यार्थी को यह सुविधा उन सभी विषयों में देय होगी जिनमें वह अनुत्तीर्ण है। यह सुविधा पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु निर्धारित अधिकतम समय सीमा तक देय होगी। बैक पेपर व सुधार परीक्षाएं मुख्य परीक्षा के साथ ही आयोजित की जाएगी।

4.2.9 स्क्रूटनी (परिगणन)

स्क्रूटनी का तात्पर्य है –उत्तर-पुस्तिका में छूटे हुए प्राप्तांकों का जोड़, अग्रसारण त्रुटि और उत्तर-पुस्तिका में किसी प्रश्न की जाँच छूट जाने पर उसका मूल्यांकन। उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी चाहने वाले इच्छुक अभ्यर्थी अधिकतम दो प्रश्न-पत्रों में रु.100 प्रति प्रश्न पत्र की दर से शुल्क का भुगतान कर उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी करा सकते हैं। यदि स्क्रूटनी के फलस्वरूप सम्बन्धित परीक्षार्थी के अंकों में वृद्धि होती है तो संशोधित अंक परीक्षाफल में अंकित किए जाएंगे परन्तु यदि स्क्रूटनी के फलस्वरूप प्राप्तांक कम हो जाते हैं तो पूर्व प्राप्तांक यथावत् बने रहेंगे।

4.2.10 पुनः प्रयोगात्मक परीक्षा / मौखिक परीक्षा

एक बार प्रयोगात्मक/ मौखिक परीक्षा छूट जाने पर विशेष परिस्थितियों में पुनः प्रयोगात्मक परीक्षा / मौखिक परीक्षा के आयोजन का प्रावधान है। इस हेतु छात्र को कुल रु. 3250/- (विलम्ब शुल्क रु. 250/- अतिरिक्त रु. 3000/-) की धनराशि जमा करनी होगी।

4.2.11 परीक्षा समय सारणी

विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा समय सारणी निर्माण में यथासंभव संभव ध्यान रखा जाता है कि छात्र द्वारा लिए गये प्रश्नपत्र एक ही समय पर न हों, यदि ऐसा होता है तो तो छात्र अगली छमाही में होने वाली परीक्षा में उन प्रश्नपत्रों की परीक्षा दे सकता है।

4.2.12 उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति दिया जाना

यदि कोई परीक्षार्थी किसी विषय की उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति चाहता हो तो वह रु0 200/- प्रति प्रश्न पत्र की दर से शुल्क अदा कर उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त कर सकता है। उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 6 माह की अवधि तक दी जा सकती है।

4.2.13 परीक्षार्थियों की अंकतालिका

विश्वविद्यालय द्वारा केवल अंतिम वर्ष/सेमेस्टर के परीक्षार्थियों की अंकतालिका को प्रतिलेख (Transcript) हार्डकापी के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। अन्य वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षा का परीक्षाफल परीक्षार्थी विश्वविद्यालय वेबसाइट से ONLINE MARKSHEET के रूप में प्राप्त कर सकता है।

4.2.14 श्रेणी

परीक्षा परिणाम की निम्न तीन उत्तीर्ण श्रेणियाँ होंगी:

A) स्नातक स्तर:

प्रथम श्रेणी	60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक
द्वितीय श्रेणी	60 प्रतिशत से कम तथा 45 प्रतिशत तक

4.2.8 Facility of Back Paper

If a learner fails in a programme of study selected by him / her, he/she may take the examination again by paying a fee of Rs. 200 per paper. A learner may avail this facility in all those subjects/papers in which s/he has not been able to clear the exam. This facility is available only up to the maximum time duration earmarked for the programme. The back paper and improvement examination will be conducted along with the main examination.

4.2.9 Scrutiny

Scrutiny implies to the addition of the left out marks in the answer script or evaluation of any question which is left unchecked. Learners may apply for scrutiny by paying Rs.100 per paper. An examinee can get a maximum of two papers scrutinized. If after scrutiny, the score of the candidate increases by 10%, the same will be reflected in the improvement marksheet. However, if marks are reduced then the previous marks will be retained.

4.2.10 Re-Laboratory / Viva Voce Exam

There is provision of re-laboratory or *Viva Voce* examination for those students who had remained unable to take the laboratory/*viva voce* examination on the specified date. In such a case, the student will have to deposit Rs. 3250 (Rs.250/- as late fee and Rs. 3000/- additional fee) before taking the examination.

4.2.11 Examination Date Sheet

The University takes all possible care in making examination date sheet that the question papers taken by student do not clash with one another. If so happens the student may take examination in such papers in the forthcoming examination in next six month.

4.2.12 Photocopy of answer sheet

If a learner wishes to get photocopy of the answer sheet, s/he may do by paying a fee of Rs. 200 per paper. The photocopy of the answer sheet will be given within the period of six months of the declaration of result.

4.2.13 Distribution of marksheets

University will provide consolidated mark sheet(s) only to the final semester/year pass students, in the form of a transcript. Other than final year/sem. examinees shall be able to download their mark sheet(s) online in original from university's website www.uou.ac.in

4.2.14 Division

The examination result will comprise the following three pass divisions:

A) Graduate Level:

First Division	60% or more
Second Division	Less than 60% and upto 45%

तृतीय श्रेणी	45 प्रतिशत से कम तथा 35 प्रतिशत तक
--------------	------------------------------------

Third Division	Less than 45% and upto 35%
----------------	----------------------------

B) परास्नातक स्तर :

प्रथम श्रेणी	60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक
द्वितीय श्रेणी	60 प्रतिशत से कम तथा 48 प्रतिशत तक
तृतीय श्रेणी	48 प्रतिशत से कम तथा 35 प्रतिशत तक

B) Post Graduation Level:

First Division	60% or more
Second Division	Less than 60% and upto 48%
Third Division	Less than 48% and upto 35%

4.2.15 उपाधि प्रदान किया जाना

विद्यार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किए जाने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा उसे उपाधि प्रदान की जाती है। उपाधि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रारूप परिशिष्ट IV में संलग्न है।

4.2.15 Award of Degree

The University awards degree to the learners after successfully completion of a programme. The proforma of the degree form is attached as annexure IV.

4.2.16 सावधानियाँ

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के मुख्यालय अथवा उसके द्वारा आवंटित क्षेत्रीय केन्द्रों/अध्ययन केन्द्रों से सीधा सम्पर्क स्थापित करें। किसी मध्यस्थ अथवा अवांछित माध्यम के द्वारा प्रवेश न लें। यदि उचित माध्यम से अभ्यर्थी अपना प्रवेश नहीं लेते हैं तो वे इस सन्दर्भ में किसी भी कठिनाई के लिए स्वतः उत्तरदायी होंगे। अध्ययन केंद्रों के द्वारा निर्धारित राशि से अधिक शिक्षण / परीक्षा शुल्क लिए जाने अथवा अमान्य तथा अवैधानिक रूप से प्रवेश देने वाले शैक्षिक संस्थानों के सम्बन्ध में कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी 263139, नैनीताल, को तत्काल सूचित करें।

4.2.16 Caution

It is advised to all those applicants who wish to seek admission in various programmes of the University, that they establish direct contact with the University or Regional Centres or Study Centres. Learners are cautioned against taking admission through any agent or through any other undesirable means. If learners do not take admission through proper channel, then in case any problem, then they will be held responsible for any consequences. If admissions are being offered illegally by any unrecognised institutions by charging extra tuition / examination fee, it is imperative on the part of the applicant to inform the Registrar, Uttarakhand Open University, Haldwani, 263139 Nainital, immediately.

4.2.17 वादों का निस्तारण

प्रवेश तथा विश्वविद्यालय सम्बन्धी समस्त वादों का न्याय क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल ही होगा।

4.2.17 Resolution of Disputes

Any disputes related to admissions or to the University will fall under the jurisdiction of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital.

4.2.18 विविध जानकारी हेतु सम्पर्क नंबर / वेबसाइट

विश्वविद्यालय के प्रवेश तथा समस्त शैक्षिक कार्यक्रमों से सम्बन्धित जानकारीयाँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट <http://uou.ac.in> पर प्राप्त की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त अध्ययन केन्द्र, क्षेत्रीय केन्द्र तथा विश्वविद्यालय के मुख्यालय से भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। विविध जानकारी हेतु विश्वविद्यालय के टॉल फ्री नम्बर 1800 1804 025 पर प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है। जानकारी प्राप्त करते समय यह अवश्य स्पष्ट करें कि आपको किस सन्दर्भ में जानकारी प्राप्त करनी है। इससे सम्बन्धित व्यक्ति को सन्दर्भित करने में सहायता मिलेगी।

4.2.18 Contact number/ website various Information

Information related to admission and academic programmes can be obtained from the University website <http://uou.ac.in>. Additional information may be availed from the Study Centres, Regional Centres and the University Headquarters. Learner may also obtain information from the toll free number of the University (1800 1804 025) during each office day between 10 a.m. to 5 p.m. While making an enquiry, a learner needs to specify what information s/he needs as this will help us in referring her/ him to the concerned person or department.

नोट- परीक्षार्थी सुधार परीक्षा, बैक परीक्षा व स्कूटनी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। (Learners can take advantage of improvement, back paper and scrutiny in every six months)

जनवरी - 2017 में केवल 1, 3, 5 सेमेस्टर व प्रमाणपत्र संबंधी पाठ्यक्रमों की ही बैक / सुधार परीक्षा व मुख्य परीक्षाएं और जून/ जुलाई - 2017 में समस्त (सेमेस्टर/ वार्षिक) पाठ्यक्रमों की बैक/सुधार व मुख्य परीक्षाएं आयोजित होंगी। (In January 2017, back paper / improvement examination shall be conducted only for 1,3, 5 semester and certificate programmes and in June/ July 2017 back / improvement and main examinations of all the programmes (Semester/ Annual) will be conducted.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार एक साथ दो डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं लिया जा सकता। शिक्षार्थी उपरोक्त कार्यक्रमों में से किसी एक डिग्री एवं एक डिप्लोमा (पी. जी. डिप्लोमा का छोड़कर)/ एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में एक साथ एक सत्र में प्रवेश ले सकता है। प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय की विवरणिका ऑनलाइन www.uou.ac.in पर उपलब्ध है। शिक्षार्थी प्रवेश हेतु ऑनलाइन पद्धति को अपना सकता है जिस हेतु उसे विवरणिका शुल्क रू. 100/- देय नहीं होगा।

